#### Fourteenth Loksabha

Session: 7
Date: 18-03-2006

Participants: Badnore Shri Vijayendra Pal Singh, Gadhavi Shri Pushpdan Shambhudan, Hamza Shri T.K., Reddy Shri S.P.Y., Kuppusami Shri C., Mahtab Shri Bhartruhari, Chander Kumar Shri ,Rao Shri Kavuru Samba Siva, Singh Shri Mohan, Kumar Shri Shailendra, Gowda Dr. (Smt.) Tejasvini, Maheshwari Smt. Kiran, Chidambaram Shri P., Pal Shri Rupchand, Thakkar Smt. Jayaben B., Nambadan Shri Lonappan, Mishra Dr. Rajesh Kumar, Radhakrishnan Shri Varkala, Mehta Shri Alok Kumar, Yadav Shri Ram Kripal, Fanthome Shri Francis, Manoj Dr. K.S., Rana Shri Kashi Ram, Vundavalli Shri Aruna Kumar, Patel Shri Jivabhai Ambalal

>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Finance Bill, 2006.

MR. SPEAKER: Now, the House will take up Item No. 7. The Business Advisory Committee in the meeting held on 9<sup>th</sup> March has allotted 8 hours for consideration and passing of the Finance Bill, 2006. If the House agrees, we may allot 7 hours for general discussion, half an hour for clause by clause consideration and half an hour for the Third Reading of the Bill. Now, it has been agreed that the hon. Finance Minister will move the Bill and then he has to go. We shall continue with other matters.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): I beg to move:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2006-2007, be taken into consideration."

MR. SPEAKER: Do you want to say something?

SHRI P. CHIDAMBARAM: As I have said in the Budget speech that there are a very few tax proposals this year and there are a very few tax changes, and the reasons I have attempted to explain.

On the Customs side, the direction is to move towards ASEAN levels of taxation. We have taken, as some would say, a half step this year, bringing down to 12.5 per cent, the peak rate of customs duty. The goal is to have customs duties ranging between 5 and 10 per cent, which will make India comparable to the ASEAN countries.

On the Excise side, there is a broad consensus emerging in this country that we must converge upon the CENVAT rate. What the ultimate CENVAT rate will be, cannot be predicted now. But, broadly going by international experience, it should be somewhere between 14 per cent and 16 per cent. At the same time, we must also converge the Service Tax rate because the proposal is to have Goods and Service Taxes in this country. We have allowed ourselves a fouryear time period. We will come back to the House with the roadmap of how to take all the States on board, work with the State Finance Ministers and have a Goods and services Tax in about four years. So, we are converging the excise rates. Wherever we found that there are deviations in excise rate, we have tried to correct those deviations and converge them. But, selective industries have been identified in order to give them a boost. The best example is the man-made fibre industry. What this House did in respect of cotton textiles industry two years ago, has given a huge boost to the cotton textiles industry. I have received a number of letters in the last two years from the cotton textiles industry of how this House has given a virtual new lease of life to the cotton industry. We expect the same to happen to the man-made fibre industry, and man-made textiles industry. Members would have seen the advertisements before the Budget and the advertisements after the Budget. The entire industry has welcomed the reduction of excise duty to 8 per cent. Similarly selected industries have been identified in order to give them a boost. Some of them are leather, paper and most importantly the food processing industry.

On the direct tax side, this is a year of consolidation. Major tax reforms were done in 1997-98 and again in 2005-06. There is no reason to tinker or tamper with the tax rates year after year. There must be a certain stability in tax rates. Today, I think, most people are comfortable with the personal and corporate tax rates. This is the year of consolidation. Some relief was required to be given on a couple of items under the fringe benefit tax and that has been given. Apart from that, as I emphasised, this is a year in which we want to send the clear message that tax rates will be moderate and stable. Therefore, this year is a year of consolidation. [r1]

Revenues are growing at about 20 per cent a year, which means that our tax policies are very balanced and right. Three years in succession, gross tax revenues as well as net tax revenues to the Centre are growing at 20 per cent a year. We must ensure that this momentum of growth is maintained; this momentum in the growth of tax revenue is maintained.

I am sure that there will be issues raised during the course of the debate on certain provisions of the Finance Bill. I will make every effort to answer hon. Members and satisfy them what we have done in the Finance Bill is correct and will promote growth.

MR. SPEAKER: We will continue with the discussion later.

Motion moved:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2006-2007, be taken into consideration."

... (Interruptions)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : आप तो परसों जवाब देंगे। The reply will be given day after tomorrow or so. But I request the hon. Finance Minister to kindly consider senior citizens, women and the Government servants. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Somebody can speak on your behalf.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Sir, I will not be here. I will be going out. Great injustice has been done to these people. Kindly look into it. ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: We have all agreed.

... (Interruptions)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : मार्बल पर जो एक्साइज़ लगाई है, उसे हटाने का काम करें। ...(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने भााण में मार्बल और दूसरी चीजों के बारे में कहें।

#### 12.51 hrs.

## FINANCE BILL, 2006 – contd.

MR. SPEAKER: Now we resume our discussion on item no. 7 – the Finance Bill, 2006. There will be no luncheon recess today.

Shri Vijayendra Pal Singh to speak now.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH (BHILWARA): Mr. Speaker, Sir, I stand to participate in the discussion and oppose the Finance Bill, 2006. We are all aware that in Parliament the Budget is discussed in three phases.

12.52 hours (Dr. Laxminarayan Pandey *in the Chair*)

The first part is the General Discussion after the presentation of the Budget by the hon. Minister of Finance wherein general issues are discussed like the GDP, growth rate, employment/unemployment etc. After that the second phase is the discussion on the various Ministries or rather their Demands for Grants which are taken up in detail. This is the first time that they are not being referred to the Standing Committees where they usually are discussed during the recess in Parliament. Then, they come back to the House. But, I will not go into the debate of that. Then, we have the guillotine, the Appropriation Bill, and finally we come to the stage that we are in today and that is the Finance Bill.

The final stage of the passing of the Budget is supposed to be limited to the taxation proposals contained in the Finance Bill. I must say that the hon. Minister has always been saying that he wants to simplify the income-tax returns. He also says that he wants to curb the black money power because everybody knows that the black money has got to the stage of being a parallel economy in the country. But we are disappointed by the hon. Minister of Finance because nothing has been done on the issue of an amnesty or any other scheme to curb the black money power.

Also, the hon. Minister of Finance has been talking about that he wants to broadbase the income-tax network of the people who are filing their income-tax returns or assessments. But all the financial institutions, Chambers like ASSOCHAM, FICCI etc. have been saying that something should be done regarding the rich farmers. They have been talking about it [krr2].

We all know that the farming community is strange in the sense that there are poor farmers who are committing suicides and there are also very rich farmers who roam about only in Mercedes Benz, limousines etc., but they have not been taxed. The CII, the ASSOCHAM and the financial institutions have been talking about it. I thought the Finance Minister would have the guts to do something about that, but nothing has been done on that count also.

You talk about poverty in the farmer class, but on the other hand, other issues should also have been taken up and I feel that it seems to have also missed him. May I also say that when you

talk about income-tax return filing, you say that it needs to be simplified? Now, nothing has been done on the simplification of that. In fact, there are so many forms and forms to the extent that it is not just once a year that you have to fill them. There are advance tax forms and returns. These are to be submitted three times or four times - three times by individuals and HUFs and four times by the companies. That also has not been looked into by the Finance Minister.

Let me also talk about specific issues which are of concern. On the direct taxes side, let me talk about the FBT, Fringe Benefit Tax. It needed to be simplified. It has not been defined as such. The disallowances of staff welfare expenses, hospitality expenses, sales promotion expenses etc. were requested to be lowered down and looking at the basic need of business, these disallowances plus FBT thereon shall further increase the tax burden on the companies, industry and trade. Something has been done. Taking the medical samples to doctors, brand ambassador's charges out of purview of FBT is a welcome measure. Simultaneously, contribution to approved superannuation fund up to rupees one lakh per employee is not liable to FBT. It is also welcome, but overall simplification of FBT calculation is not really defined and is very much required and needed.

The one system of taxation and the tax rates should be levied to avoid repetitive returns, calculations and challan forms. It needs to be looked into. I urge upon the Finance Minister, who is not here, to looked into it. I do not know if he is listening to what I am saying. I am the first speaker from here, but the Finance Minister does not answer to all arguments. What I also want to put across is with regard to income tax provisions. There are certain harsh provisions as introduced in the Bill, which also need clarification and a sympathetic approach.

Let me also talk about the co-operative banks which are doing lending business. They are doing lending business to the farming community, to the rural areas. That has also been taxed this year [reporter3].

### 13.00 hrs.

It is very surprising. I am saying this because once we talked about how we are going to uplift the rural community, and the farming section. The bank, which really looks after their interest is the co-operative bank. If they are taxed, then there will be a crunch on the amount of lending that they can do. This should not have been done, and I feel that the Government is not really serious about the upliftment of the rural section by putting this in place.

I would now like to mention about the removal of exemption in income from investment in infrastructure and other projects under section 10 (23) (g) with effect from 01-04-2007. It is also going to be very unpleasant, and it is very unthoughtful, since India has attained this growth rate only on the shoulders of the infrastructure funds and projects. Therefore, more time should

have been given for the takeoff stage. We need these projects to be exempted for at least another 10 years for the infrastructure development in the country.

13.01 hrs. (Shri Mohan Singh *in the Chair*)

I would also like to say that granting benefit of bank deposits under section 80 (c) -- like insurance premium, NSC investment, purchase of pension plan and mutual funds, etc. -- for a five year term shall hamper the concept of insurance. In addition, the real savings, by which we are getting the long-term funds for these infrastructure activities, should also be looked into or thought about by the hon. Finance Minister.

I would now like to talk about the anonymous or pseudonymous donations made to charitable institutions. This is under the tax net under section 11, and under section 10 (23) (c), and it has been proposed to be taxed at 30 per cent, that is, other than donations to institutions wholly for religious purposes. I feel that there was a blanket exemption, and now exemption has been given only for religious purposes. This is going to really complicate matters, and donors -- who really want to put in money for institutions and for other charitable causes -- are going to have a lot of problems. I feel that this matter should also be looked into by the hon. Finance Minister.

The other point that I want to raise is with regard to the Securities Transaction Tax (STT) on share transfer. Doubling it is not right, and it will affect only the small investors. It will not affect the FIIs and the big companies, but it is going to really affect only the small investors. The hon. Finance Minister seems to have missed this point that when the small investor is wanting to put in his little bit into the share market, then there should also have been some sort of an exemption for the small investors. This should have been thought by the hon. Finance Minister.

The most concerned views have been on the service tax. There has been a tremendous increase of 20 per cent from the existing 10 per cent to 12 per cent in the service tax rates. This will really make things very costly[ak4].

The cost of every project and everything else will go up because there is a very big increase, to the extent of 20 per cent, in the service tax. Even if it were there, they should be at par, in the sense, that all the Chartered Accountants, Company Secretaries and ICWA qualified

professionals, on the one hand, have to bear this increase from 10 per cent to 12 per cent. However, on the other hand, the lawyers, who also come under the same category -- Sir, you are also a lawyer and you understand this point very much -- have to be brought at par with them. You are taxing the Chartered Accountants and the Company Secretaries, but the lawyers have been kept out. I do not know what is the rationale behind this. Is it that the Finance Minister himself is a great lawyer -- we have a lot of respect for him as a great lawyer -- that he has excluded them? I think, they should be brought at par with others. This must also be looked into by the Finance Minister.

The other amendment in the Income-Tax for abolishing 1/6 Scheme for filing returns, and new scheme to facilitate submission of returns, may create more jobs for younger generation, are a few welcome measures. But overall, in the booming market that we have, and in the non-favourable climatic conditions, the proposals should not have been made. I feel that it is just an illusion. Under the Scheme that had come up, a lot of forms had to be filled, there was a lot of work for the Income-Tax people, and they seem to have done away with it. I feel that other measures should along be suggested on this.

There is one thing that I have been harping, and this has come up actually in the Budget 2002. The Finance Minister should have looked into this also. This is about section 50 (c) where the seller of an immovable property is liable for Capital Gains Tax on value that is determined by the Government authorities, which is the DLC. Now, there is a DLC in one area. Let me give a hypothetical example. There is one house which fetches one crore of rupees, and the house next to it because of *vastu* and so many other reasons, it may fetch a much lesser rate, though in the DLC, it may be of the same value as the first one. Despite this fact, the second house owner will have to pay the Capital Gains Tax on the DLC rate and not on the actual amount that he has paid for. I feel that it must be looked into by the Finance Minister. When I was in Chennai, I heard somebody talking about one house which, since it was facing the wrong direction, was not getting sold though it was offered for half of the price of the next house, which is on the same road. Now, there can be cases like this, and if that person has to pay on the rate of the DLC, I think, it is not justifiable. This must also be looked into by the Finance Minister.

The other issue which I had raised earlier is on the parallel black money. I remember, the same Finance Minister had put up VDS. There are some other amnesty schemes that can be put forth, but nothing has been done about that, especially in the economy that we are living in, the boom that we are talking about in the economy. That black money should be diverted into the infrastructure by giving them amnesty. They can put that money in some bonds or other instruments for ten years, and they will not get any interest on it, for which they get the amnesty [R5].

That would really get us a lot of funds for infrastructure, which are required in our country.

Having said all this, I feel that the Finance Minister has really disappointed us. He has disappointed the industry; he has disappointed the senior citizens. Nothing has been said about the senior citizens. He has disappointed the section of women. He has disappointed not just the industry, senior citizens, women, but a lot of other sectors. He has given very little to them. I feel that I need to oppose it very strongly.

SHRI S.P.Y. REDDY (NANDYAL): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Finance Bill, 2006 presented by the hon. Minister Mr. P. Chidambaram under the able guidance of our beloved Prime Minister Dr. Manmohan Singh.

The GDP growth rate this year is projected as 8.1 per cent. Our Prime Minister is targeting a GDP growth rate of about 10 per cent. GDP indicates creation of wealth. So, creation of wealth this year is going to be 8.1 per cent. The Government is targeting to create wealth at the rate of 10 per cent in the coming years. This is unprecedented in the Indian Budget.

GDP growth comes mainly from industry, services, mining and agriculture. Unfortunately, GDP growth rate in agriculture is only 2.3 per cent. Our UPA Government is trying to increase the growth rate in agriculture. If you see the Budget you can find that Agriculture is given the top most priority. Agriculture mainly requires water, credit at low interest and insurance. With regard to water, the Government has increased fund allocation for Accelerated Irrigation Development Programme from Rs.4,500 last year to Rs. 7,121 crore next year.

Many projects taken up by State Governments are languishing for want of funds. They are taking years together before they are completed in time and offer the benefits of that programme, that structure, that dam, that reservoir. Our Government has increased the outlay.

Water is the main input for agriculture. I hail from a village and I am from agricultural background. I have seen the situation in the villages myself. If you go to a village and ask a farmer as to what is the most important requirement of his, he would say, 'water' - water either by canal or the groundwater. Groundwater is much more preferential to canal water because you have groundwater available 365 days in a year [KMR6].

Canal water comes only for three to six months. Groundwater level has to be increased now. Groundwater level has been depleted very much. Towards this, our Finance Minister has come up with water bodies programme of Repair, Renovation and Restoration of Water Bodies,

which is being implemented in 25 districts in 13 States. Twenty thousand water bodies with a command area of 1.47 million hectares have been identified in the first phase. The estimated cost is Rs.4,481 crore. Firstly, they are taking up at least one lakh water bodies in the country which are languishing for repairs and renovations. Our Government has identified these water bodies. Restoration and repair work would increase the ground water level. The Finance Minister has allocated a sum of Rs.4.481 crore for repairs and renovations of water bodies. Not only that, the National Rural Employment Guarantee programme has been allocated a sum of Rs.14,000 crore. A majority of this money is going for increasing and developing the groundwater level. As a villager, I have seen it. Coolies are going to undertake repair and renovation work of water bodies and to construct check dams. Waterways would enable the water to go into the ground. Rain water should go into the ground. It is just like a bank. If water goes through the waterways and bank, it would go to the ground so that we can always take it back. Such type of works would increase the groundwater level. Eighty to 90 per cent of the funds of the National Rural Employment Guarantee programme are going in for groundwater development, and the remaining amount would be utilised for laying of roads, etc. Therefore, I would say water is given the topmost priority. Our Prime Minister, our Finance Minister and our leader, Shrimati Sonia Gandhi have said that groundwater is the key for the prosperity of the villages and agriculture.

Next comes the farm credit. As far as our UPA Government is concerned, farm credit is a critical point. In 2004-05, we have asked the banks to lend to the farmers a sum of Rs.1,25,000 crore; last year, it was Rs.1,41,500 crore; and this year, it is Rs.1,75,000 crore. We have asked the banks to increase the number of farmers to be benefited under this. Fifteen lakh additional farmers will be brought into this net. Not only that, bank interest rate is being reduced to seven per cent. Two per cent is being refunded by our Government. It is considered as a great act – credit at low rate of interest – which would increase the viability of agriculture. Many farmers who are suffering today for want of credit have gone to private lending at exorbitant rates of interest, which forced them to commit suicides. Our Government has taken care of them and asked the banks to liberally lend to agricultural farmers, and that too, at low rate of interest of seven per cent. Even industrial sector is not getting credit at seven per cent rate of interest. Now, farm credit is well taken care of. Groundwater charge is going up. Once again, I would request the UPA Government to link agriculture with industry [\$7].

Sir, if we analyse, we will find that all the industrial raw materials come either from agriculture or from mining. These two sectors only provide the raw materials for all the industries. Agriculture gives textiles, cotton, sugar, sugar industry and so many agro-processing industries etc.

Now, the latest move have come. It is ethanol. Brazil is showing the way. We are importing petrol and diesel. But now this ethonol is being mixed in petrol up to the level of 24

per cent in Brazil. Similarly, in USA, it is mixed up to the level of 10 per cent. In India, it is mixed in petrol up to seven per cent; and there is a mandate of making it 10 per cent in one to two years time. In fact, in Brazil, they are manufacturing engines to run cent per cent on ethanol, which is made from Agriculture. Jowar, maize, broken rice, bajra are all the starch-based materials which can produce ethanol. This is a renewable source. Unlike petrol and diesel, which we take from earth and which is exhaustible, this is inexhaustible, renewable and clean also. Therefore, we are encouraging the use of ethanol. It will give so much of employment also.

Agriculture is the backbone of India. It gives food to the nation, it removes poverty, it removes unemployment and it gives raw materials to the industries. This UPA Government has taken great care of agriculture, drinking water, ground water. They have taken special steps in providing employment to the rural unemployed. It is the first time in India that we are legally guaranteeing employment to the unemployed persons, especially the youths of the country.

Sir, power production is also going up. Petroleum exploration is also on the increase. Coal explorations is also going on to a large extent. It is also being given to the private parties. Coal is very important for power sector, steel, cement etc.

Sir, our Finance Minister has talked about 8.1 per cent growth. But I am sure, very shortly it would be touching the level of 10 per cent growth. I fully support this Finance Bill. I congratulate the hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram and the hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh for giving this Budget to India.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, the hon. Finance Minister has presented the Finance Bill, 2006. First of all, I would like to draw the attention of this House to the tax philosophy. It is believed even by this Government that lesser the tax, more the compliance -- "Laffer's Curve." But from our experience, we find that the Indian psyche is different.

Even after you reduce or bring down the tax rate, there may not be compliance. We have seen it from our own experience in the recent days also. Now, if you look at the rate in direct taxes, and if you make a comparison with the rates of income tax, corporation tax in other parts of the world, you would find that the effective rate of the corporation tax is about half the world average. The world average rate is 40 per cent <u>[KD8]</u>.

In our case, the corporate tax is 35.87 per cent; but the effective tax rate, after the accelerated depreciation and other things taken together, it may come to 20 per cent or even less

than 20 per cent. In our country, we find that about 500 companies alone are amassing wealth. They are making more than Rs.500 crore as profit in a year. If you look into the total amount of profit, more than 73 per cent of the profit goes to the limited number of large companies. They are enjoying accelerated depreciation, several exemptions, etc. I am not telling this out of my invention. This is a statement by the hon. Minister. Even the small amount at low rate that is being imposed, is not being paid. We have Rs. 1,58,000 crore exemptions and out of that, Rs.92,000 crore exemptions are in respect of customs and others, benefiting only the industries, not agriculturists and not farmers.

I congratulate the Government that they have taken care and looked into these exemptions, and tried to do away with some of the exemptions. But it is a peanut. If you look at the tax arrears, they have lower rate, but still they are not paying that, through evasion and avoidance, using the loopholes in the existing legal framework. They are enjoying exemptions and even after that, there are arrears to the tune of more than Rs.1,11,000 crore.

In the last Budget, the hon. Finance Minister had said there is an amount of Rs.42,000 crore or something, as litigation free arrears. Even after trying to catch hold of those arrears which are litigation free, which is very limited, they are not able to realise that. I congratulate this Government because this Government is more transparent in the statement made in FRMB and also Annual Information Report, AIR. Annual Information Report, 2005 has come and what does it say?

In a country of 1.1 billion people, how many are there whose annual income is more than Rs.10 lakh? It is 80,000. It says that out of 17 lakh transactions, 30 per cent did not use PAN. On the one hand, there is duplicate pan which is being used and on the other hand, large scale expenses are being made for purchase of luxury cars, for making investments in the share market, for putting in some instruments in the bank, etc. So, 30 per cent did not have any PAN. But the declaration is that only 80,000 people are having income more than Rs.10 lakh. But we do find lakhs and lakhs of rupees are being spent on luxury cars.

India is a big market. George Bush has rightly pointed out that there are about 30 crore people or at least 20 crore plus people who are the targets of latest luxury products of the world. In such a country, there is lack of resources! But this Government has at least brought out the truth through the AIR, through the statement, etc. But the reality is that India is a country which is under-taxed [R9].

Whatever be the complaints of the corporate sector, India is a country which is under taxed in terms of corporation tax and in terms of income tax also.

13.30 hrs.

(Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)

SHRI K.S. RAO (ELURU): This is the condition now.

SHRI RUPCHAND PAL: I can tell you what was the condition at that point of time. But it would require more time. At that time also, your Government was there. At that time, the exemptions were dependent on the whims of the Ministers and the Party. That is a different story and I am not going into that.

As regards indirect taxes, the Minister says that there is 20 per cent growth of tax, although it has not increased from last year's performance in respect of Central Excise. As regards exemptions, we do find that they have been rampant firstly, in terms of customs duty, export oriented concessions, and in central excise also. Although it is less than the customs duty and the income tax exemptions. Now what has happened this time? The Minister with a goal of GSP is trying to bring at par the service tax and the State VAT tax. He has mentioned 2007 as the target year. What will it require, is a different thing. How the revenue would be shared between the States and the Centre is another story. It is to be seen whether it is possible without appropriate setting up of the IT, administrative arrangements, agreements between the States and the Centre, how it will be shared, what will happen to VAT, Central Sales Tax and CENVAT everything will have to be taken into account. So, first it will have to start at the central level and in the second phase it may be switched over. For that, the national tax network, NSDL, and necessary software will have to be strengthened. That is a different story.

Over the years, customs duty has been brought down. It is according to the WTO stipulation. But how is it impacting our own domestic industry? It has been calculated by some people, particularly by our small and medium industry. We cannot stand in competition. Now again this FDI in retail is being advocated. I do now know what will happen to our small industries. Even in this year's Budget, what has happened? I am mentioning three to four things with regard to central excise. Take for example the hand made soap. Several thousands of people are involved in it in Haryana, Uttar Pradesh, some parts of Gujarat and Rajasthan. This product is being used by the poorest of the poor. It is being said that they will have to pay the amount of excise which they cannot afford. I had met the hon. Finance Minister along with the producers of the hand made soap. The Minister said that they are enjoying the small scale status. Their turn over is such that maybe technically some of them are above small scale but if you look at the actual methodology, they are not using power. The Minister said that because of the court cases, they have divided it into those who are using power and those who are not using power. He explained to me that even using electric bulb in the office room would also be considered as

using power. This is too much. The major part of the production does not involve the use of electricity. It involves manual labour. If 99.99 per cent is manual labour and in the office where they are doing calculations and all these things, they are using a bulb, you will consider it as use of power and put that industry at par with those who are using megawatts of power with special arrangements of bulk purchase of power, it should not be like that [r10].

He has told me that he will look into it. Similarly, in the case of umbrellas, they are being produced by big companies and there are small companies that are making very small umbrellas. There are small umbrellas made manually, and labour intensive umbrellas and mechanised sort of umbrellas made by big companies. They cannot compete with each other if you put them at par. So, there should be a provision that those who want to go for CENVAT, they should be allowed. It should be optional. In the case of any option, these small producers of umbrellas for the poorest of the poor should be given some protection.

In the case of value addition, let me take the example of polyester, POI. I am not naming the companies which are dominating the industrial scene of India today. Petrochemicals is one of the strong areas. They are composite. They are the producers of raw materials and also the producers of the end product. For the first time, the excise and customs duties have been rearranged. I am reading out the figures of this year. I would begin from PTA which has 10 per cent as customs duty and 16 per cent as central excise and MAG has 10 per cent customs duty and 15 per cent as central excise figure.

Coming to polyester chips, there is a very big company in Gujarat producing polyester chips. They are selling it as a raw material to the market for small users and they have been producing the end product also. In the case of polyester chips, the excise duty is 16 per cent. They do not have to pay any tax because they are the producers. Now, the small companies which are producing POI polyester will have to pay 8 per cent tax. What is happening? Buying the raw material at 16 per cent and to be competitive at par with 8 per cent with big producers make all the small companies to close down. How can the small companies stand in competition with big companies? The big companies are being patronised and the small industries are not. We are told that employment generation happens in the case of small industries and biggest export potential is there. There is 40 per cent export. In a country like India where labourintensive units are to be patronised, we find that dereservation is taking place in small industries. In this year, 15 cases of dereservation are there. It is being said that paid-up capital and upgradation are taking place. But small is small. Tiny is tiny. If you look at the global scenario, the small and the medium sectors which form the important sectors of the economy have to be appropriately supported and strengthened as they can provide employment. Sometimes they ask as to why big industries have stopped producing such and such a thing and why small industries are doing it. Actually, there is a philosophy called ancillarization. If big public sector

undertakings like the MAMC stops production or closes down or sold out or disinvested, the small industries down below also will be affected automatically. We have been objecting to the Government's industrial policy not because that all these large units have been performing well but because a large number of small industries which are depending on them also get affected. It is felt that small industries are put at par with the big industries and they are being told to compete with them [bru11].

The Central Excise is an instrument being used not in favour of the small industries. It is being mechanically used. Those units which use bulbs for reading or writing are being put at par with the units which use good amount of electricity. It has happened in the case of soap and umbrella. In case of umbrella, I suggested that CENVAT should be made optional. The Central Excise will have to be re-organised in a manner, in a philosophy, which can help the labour-intensive small industries. The hon. Prime Minister was emphasising the point that banks have been told that appropriate support need to be given to the small and medium industries. But what is happening at other levels? Due to the instrument of Central Excise, in the name of dereservation, parity, etc. we find that small units are suffering continuously. If you adopt this approach, the small units will suffer continuously. They can never be equal.

You are looking at the GST. Why? It is because it will give us some leverage in the labour-intensive manufacturing sector as it has happened in the case of China. But China is reviewing and re-considering its whole approach towards these problems, particularly the labour problem. In our country, we are not adopting the Indian model of development. The hon. Prime Minister has correctly emphasised that small and medium industries should be given the importance. This is one aspect which I have mentioned. I have not mentioned many other things. There are a lot of points with regard to small and cottage industries. I have mentioned about umbrella, soap and polyester.

Coming to the service tax, I would like to say that you have included fifteen more services. How will you calculate it? You have increased the rate from ten to twelve per cent and you have given some exemptions. How will the valuation be done? It is because service is not like goods. So, calculation or valuation is a grey area. There is no law worth the name till today in that regard. There is service tax at the Central level and there is VAT at the State level.

My apprehension is that ultimately the service tax, collected by the service providers for their services, will be passed on to the consumers and it will cause inflation. How will you be able to check it? There are service providers who are already collecting the money as service tax but are not depositing the same. Of course, the Government knows it and it is aware of it.

Inflation is one area, I think, this Government should take note of. The Standing Committee on Finance has made certain recommendations. After so many decades, there is a

need to look at the non-farm activities. Of course, agriculture is a State subject and imposing agriculture tax is a very sensitive thing. But there are non-farm activities and middlemen activities in the rural areas, through which they are amassing wealth. The Standing Committee was of the opinion that it is high time the Government should have looked into that area as the Committee thought that it would help in mobilising resources. But unfortunately the Government has not looked into that aspect.

They have made some other recommendations also. One of them is regarding the donations made to the charity trusts [r12].

There are three types of Charitable Trusts. They are religious and secular Trusts or whatever you may call it, not so religious Trusts or actually no religious Trusts at all; public-service-oriented Trusts and the educational Trusts. All these Trusts are there. The point is that the Trust is an area where *benami* donations continue to pour in, unaccounted money comes. In some cases, some Trusts were again used by the same people. The same people became the beneficiaries this way or that way. It is good that the Government has listened to the suggestions made by the Standing Committee on Finance. But he is afraid of touching the religious Trusts. I know why it is so. It is not the right place to name some religious bodies which are most irreligious people, which use these religious bodies for the most dishonest purpose. The religious bodies should be engaged in religious activities. It is not the role of the State to serve a religious body. I have serious objection to it.

Next, if *benami* donation is continued in the case of religious Trusts, it will continue further. It is the most irreligious people who will claim themselves to be religious people and take the *benami* donations to get back the money in circulation. This is happening.

Then, educational Trusts are there. Even after the Supreme Court's judgement, lakhs and lakhs of rupees are being collected through *benami* donations. Actually, this is another way of getting capitation fee for admission in the engineering and medical colleges. It should be looked into.... (*Interruptions*)

Sir, I am concluding. I feel that today we will get enough time. Let me be given some more time. I will not take much time.

The hon. Minister has taken certain steps with regard to exemptions, with regard to personal tax and the income-tax. But that is not enough. What is happening now? The rich people are enjoying all the exemptions but the poor and the middle-class people are at the hands of the new crisis growing in the market. Although it has been claimed that the WPI has come down, yet, in reality, in the market, you will find that prices of essential commodities are going up and up. It is not only in respect of oil and fuel but also everything like sugar. About the PDS price,

the previous Government had taken certain steps. This Government has also increased the price of diesel etc. which has its influence on the market. What is happening to the fixed income people, the senior citizens, pension-holders and the retirees? They put their money in the Postal Savings Bank, in the monthly scheme. Suddenly, the hon. Minister has withdrawn, the Government has withdrawn the ten per cent bonus. A large number of the Indian population, the senior people put their money and draw it at the end of the month. That is the only source on which the whole family depends. In a country where the companies are making profit to the extent of more than Rs.500 crore annually, they are under-taxed. They are not paying and the arrears are mounting. Still, they continue to get some sort of exemptions. Black money is being generated. It is quite transparent to the Government. The report is there. As I said earlier, the middle-class people, the retirees and the senior citizens had earlier put their money in the banks or in some other places. Some of them, encouraged by the previous Government and, again, by this Government also, have gone to the capital market and burnt their fingers. They invested in some vanishing companies. Those companies vanished with the money. Now, these people are putting their money in the Postal Savings Bank, in the monthly income scheme. The ten per cent bonus is taken away! This Government is telling that people are free to put their money in the banks also. A certain sectoral cap is being removed. They say that up to rupees one lakh, a person is exempted. In the case of senior citizens, the total taken together comes to Rs.1.85 lakh and for the women it is Rs.1.35 lakh and all these things are there [R13].

But the rate of interest for deposits in banks is coming down. It is at 6.5 per cent now and it is 7 per cent for deposits of longer duration and very few people put the money there. By taking away the sectoral cap of Rs. 10,000, I apprehend that this Government is very surreptitiously doing a dangerous thing. What is that? They are moving from EEE to EET. That means, in the pension plan only Rs. 10,000 comes under EEE and the rest comes under EET and so you will have to pay tax at the end. The Government owes an explanation to this House whether they are surreptitiously moving from Section 80 CCC to Section 80 CCE. This is indicative that may be this Government is gradually and surreptitiously moving towards EET which will be dangerous for the senior citizens. Although there are special schemes for the senior citizens like the Senior Citizen Scheme etc. with 9 per cent interest, but even after the concession is given like raising the income tax limit to Rs. 1,85,000, still in the absence of a social security scheme, the senior citizens in the country are the worst sufferers and the Government has failed to take note of it and provide the necessary support to them.

MR. CHAIRMAN: You have taken 30 minutes. Please conclude.

SHRI RUPCHAND PAL: Sir, I am concluding.

There have been some good measures like the levying of Transaction Tax in the Share Market, withdrawing some exemptions etc., but the measures taken are lopsided. The Government should have focussed their attention to collect more tax from the corporate sector, the profit-making bodies, from those who are amassing wealth and evading tax as can be seen in the AIR. The rich people are purchasing luxury cars, but they are not paying tax and they are not using the PAN also. But the Government is looking to take away the benefit that the poor senior citizens were getting by way of monthly interest by depositing their money in Post Offices. They are dependent on that. This Government is looking to take away that benefit. This is lopsided.

Sir, the Government is trying to implement the National Common Minimum Programme (NCMP) as best as possible. This is a coalition government and it is dependent on the NCMP. The Government should not deviate from the letter and spirit of the NCMP because their future will be dependent on the implementation of the NCMP.

I would like to reiterate that this Government should look for resource mobilisation as per the philosophy mentioned in the NCMP. I think this Government will reorient its outlook and philosophy and look at the right places for resource mobilisation which they require badly for implementation of the NCMP that they have announced to the people.

श्री मोहन सिंह (देविरिया): सभापित महोदय, वित्त विधेयक में बहुत सी बातें अच्छी हैं और जिन बातों को अच्छा नहीं माना, मैं उनमें सरकार को संशोधन का सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे संविधान के मुताबिक राज-कर्मचारियों के लिए हर 10 साल के बाद महंगाई के हिसाब से उनका वेतन रिवीजन करने हेतु वेतन आयोग गठित करने का सरकार का अधिकार है और जब बजट सत्र शुरू हो रहा था, तब प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वेतन आयोग गठित करने के बारे में सरकार ि वचार कर रही है। अब हमारा सत्र लगभग समापन की ओर हैं, लेकिन सरकार ने वेतन आयोग गठित करने के बारे में कोई सुनिश्चित आश्वासन या ठोस पहल नहीं की है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जब वह कर्मचारियों के वेतन आयोग को तत्काल गठित करबें[rpm14]। वेतन आयोग की संस्तुतियों को तुरन्त स्वीकार किया जाये। इस संसद ने भी संसद सदस्यों के वेतन और सुविधाओं के सम्बन्ध में एक फैसला किया था कि 2006 में नये सिरे से संसद सदस्यों की सुविधाओं और वेतन पर संसद विचार करेगी। हमारे संविधान में एक ऐसा प्रावधान है, जिसके चलते संसद सदस्य आलोचना के पात्र होते हैं कि देश की जनता की आमदनी बढ़ती नहीं, राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ते नहीं और सर्वसम्मित से संसद्-सद्स्य अपने वेतन और सुविधाओं में बढ़ोत्तरी कर लेते हैं - हम ऐसी आलोचना के पात्र बनते हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें परिवर्तन किया जाये और संसद सदस्यों के वेतन और सुविधाओं को भी उसी वेतन आयोग के साथ शामिल कर दिया जाये, जिससे एक समन्वित वेतनमान सभी तरह के लोगों के लिए वेतन आयोग निर्धारित कर सके।

दूसरी समस्या हमारे देश में बैंकों की है, जो वित्तीय प्रबन्धन की दृटि से हमारे देश की जनता तक सरकार और ि वत्तीय संस्थाओं की पहुंच के सबसे बड़े साधन हैं। सरकार ने अपने बजट में इस बात की घोाणाएं की हैं कि किसानों को 1.15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज इस वी वितरित किया जायेगा। पिछले वी का अनुभव बहुत अच्छा था, जितना हमने लक्ष्य

निर्धारित किया था, उससे बड़ी तादाद में किसानों को कर्ज दिया गया। ये 1.15 लाख करोड़ रुपये भी वी के अन्त में जाते-जाते 1.27 लाख करोड़ रुपये हो जाएंगे। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आम और छोटे कारोबारी मनी लैंडर्स की गुलामी के अधीन अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कोई भी वाणिज्यिक बैंक गांव में या छोटे करबों में अपनी शाखा खोलने को तैयार नहीं है, उनकी शाखाएं ग्रामीण और सुदूर जगहों में खुली ही नहीं है। वे कहते हैं कि हमारे लिए वहां सुरक्षा की दिक्कत है। पहले एक परेशानी थी कि रिजर्व बैंक से, अपनी शाखा खोलने के लिए किसी भी वाणिज्यिक बैंक को इजाजत लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। अब रिजर्व बैंक ने इसकी छूट दे दी है, लेकिन इस छूट के बावजूद सभी वाणिज्यिक बैंकों की जो अपनी बेलैंस शीट है, उसमें बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, जिन्होंने 147-148 परसेंट तक अपनी आमदनी को साल भर में बढ़ाया है, ऐसी उनकी बेलैंस शीट कहती है, लेकिन वे शहरी क्षेत्रों तक महदूद हैं। राट्रीयकरण के समय उनके ऊपर एक दायित्व था। बैंकों का एक काम सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना है, जो छोटे कारोबारी हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कर्ज लेने वाले लोग हैं, या छोटे-छोटे फुटकर व्यापारी हैं, जो ग्रामीण और छोटी जगहों पर अपना कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए आज बैंक की कोई सुविधा नहीं है। आज बहुत से ग्रामीण अंचलों में, बड़े शहरों में और इस देश के बाहर एन.आर.आई. के तौर पर काम करने वाले ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान हैं, जिनका पैसा बाहर के देशों से आता है। उस पैसे का ट्रांजैक्शन छोटे और सामान्य करबों में मुश्किल काम हो गया है। इसलिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर, जो हमारे यहां छोटे करबे हैं, वहां तक बैंकों की शाखाओं को पहुंचाया जाये और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, किसानों को कर्ज देने के लिए इनकी जो ब्याज दर है, आज भी वह बहुत ज्यादा है। इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार ने पिछले कई वार्ों से अनेकों घोाणाओं कीं, जिनके माध्यम से हम एकीकरण करके, एक करके, इनको बड़ा बनाएंगे, इनका एक नियामक बैंक केन्द्रीय स्तर पर बनाएंगे। मैं ऐसा समझता हं कि इस क्षेत्र में सरकार ने कोई पहल नहीं की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की दशा को सुधारने और जैसा शहरों के बारे में सरकार ने घोति किया है कि उनको राज सहायता देकर उनके अपने घाटे की प्रतिपूर्ति करके उनकी व्यवस्था को ठीक करेंगे, मैं समझता हूं कि उसी तरह से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की व्यवस्था को भी दुरुस्त करना चाहिए, जिससे हमारे किसान, जो हमारे देश की रीढ़ हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे देश की उत्पादन व्यवस्था को, और इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जिस मंशा से हुई थी, उस मंशा को हम पूरा कर सकें। इस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है।[i15]

### 14.00 hrs.

पिछले साल सरकार ने घोाणा की थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हम किसी वाणिज्यिक बैंक के साथ जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन इस बारे में कोई ठोस पहल नहीं हुई है। वैसी ही पहल हमारे सहकारी बैंकों के बारे में भी करनी चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सहकारी बैंकों की जो खास जिम्मेदारी थी, उसे उन्होंने पूरा नहीं किया है। ये बैंक लूट-खसोट और बेईमानी का माध्यम बनकर रह गए हैं। इनको किस तरह से नियंत्रित करके व्यवस्थित किया जाए, इस बारे में एक समग्र नीति पर वित्त मंत्रालय विचार करे और उनकी वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बना कर, इनके लिए क्या आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं, इस पर विचार करे। केंद्रीय स्तर पर एक कानून भारत सरकार को बनाना चाहिए।

महोदय, हमारे मित्र कह रहे थे कि इस देश में करों को नए सिरे से लागू करने की जो व्यवस्था है, उसके बारे में भारत सरकार बार-बार कहती है कि हमने कुछ विशाज्ञों की कमेटी बनाई है और उन विशाज्ञों ने टैक्स रिफार्म के बारे में सुझा व दिए हैं। टैक्स रिफार्म का प्रचलन हम एक-के-बाद एक कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन रिफार्म से और दुश्वारियां बढ़ रही हैं। हमारे टैक्स नेट में जितने लोगों का दायरा बढ़ना चाहिए, उतना नहीं बढ़ रहा है। इस देश में कहने के लिए तीस करोड़ से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आते हैं। जिस तादाद में देश में गरीब बढ़ रहे हैं, उससे कई गुना तादाद में अरबपित, खरबपित बढ़ रहे हैं। उनके नीचे करोड़पित बढ़ रहे हैं और लखपितयों की इस देश में कोई गिनती ही नहीं है। टैक्स न देना एक भारतीय का स्वभाव है। हम कर दायरे के जाल को इस रूप में विस्तृत करें कि कम से कम इस देश के तीस करोड़ लोग कर देने की

आदत पैदा करें और देना शुरू करें तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। जब हम बजट बनाते हैं तो उस बजट में एक ही तरह के लोगों का योगदान होता है। सीमा कर, आय कर, उत्पाद कर, बिक्री कर एक ही व्यक्ति देता है और सेवा कर जिसे आपने नए ढंग से प्रस्तावित किया है, वह भी एक ही व्यक्ति देता है। एक ही व्यक्ति से हर तरह का कर लेते रहे तो मैं समझता हूं कि कुछ लोग बोझिल रहेंगे और अधिकांश लोग जिनका देश के निर्माण के प्रति दायित व है, उससे विरक्त रहेंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कर के दायरे का इस रूप में विस्तार हो कि अधिक से अधिक लोग उसके दायरे में आ सकें।

महोदय, 2010 तक सेवा कर को 16 प्रतिशत करने का वायदा डब्ल्युटीओ से किया गया है। वी 2010 तक हमें उसे करना है, लेकिन हम उसे एक ही वी में कर दें तो यह बात सही नहीं है। हमने सेवा कर को दस से बढ़ा कर बारह फीसदी कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक राजस्व उगाही सेवा कर के जिरए हुई है। करीब 48 हजार करोड़ रुपए उसके जिरए इकट्ठा हुए हैं, ऐसा सरकार का अनुमान है। लेकिन उसके ऊपर जो सरचार्ज है, उसके सैटलमेंट की कोई व्य वस्था अभी तक नहीं की गई है। उत्पाद कर, सीमा कर के सैटलमेंट के लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है। यदि किसी को परेशानी होती है तो ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। लेकिन सेवा कर के सैटलमेंट अरेंजमेंट के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सेवा कर के लिए भी सैटलमेंट अरेंजमेंट सरकार को शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए। दस फीसदी, बारह फीसदी सेवा कर अदा न करने पर आय कर के ऊपर दंड ब्याज लगता है, लेकिन उसके ऊपर दंड ब्याज की गित बहुत तीव्रता से बढ़ती है। मैं समझता हूं कि सेवा कर की उगाही के समय जो ब्याज है उसके ऊपर दंड ब्याज की जो गित है वह उत्पाद कर और दूसरे करों के अनुसार बनाई जानी चाहिए[c16]।

इस देश को वादा किया गया था कि हम बिक्री कर को पूरे देश से समाप्त कर मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू करेंगे। आज इस देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको बहुत सारी आशंकाएं हैं और उन्होंने इसे लागू नहीं किया। कुछ राज्यों ने अभी घोति किया है। राजस्थान ने घोति कर दिया कि वे इसे एक अप्रैल से लागू करने वाले हैं। 3-4 राज्य ऐसे बचते हैं जिन्होंने कहा है कि वे अभी मूल्य वर्धित कर प्रणाली को लागू करने वाले नहीं हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि उन राज्यों की जो आशंकाएं हैं, उनका बातचीत के जिरए निर्मूलन होना चाहिए और पूरे देश में राज्य स्तर पर मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू होनी चाहिए। लेकिन लागू होने के साथ ही उनकी अपनी वस्तुओं की जो दर है, उस दर में समानता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश दिल्ली से नजदीक है। यहां वैट की दूसरी दर है, उत्तर प्रदेश में दूसरी है, मध्य प्रदेश में दूसरी दर है, पंजाब में दूसरी दर है। उसका नतीजा होता है कि क्षेत्रीय स्तर पर तस्करी को बढ़ावा मिलता है। मेरा आग्रह होगा कि सभी राज्यों की वैट की दर सभी वस्तुओं पर एक होनी चाहिए। मुख्य मंत्रियों और राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर पूरे देश में वैल्यू एडेड टैक्स की दरें समान होनी चाहिए और इस दिशा में भारत सरकार को पहल करनी चाहिए।

उसी तरह जो हमारे टैक्स सलाहकार हैं, जिन्हें हम सीए, कम्पनी चार्टेड एकाउंटैंट कहते हैं, उन्हें आपने सेवा कर के दायरे में ला दिया। लेकिन यदि टैक्स के बारे में यही सलाह काला कोट पहनकर वकील साहिबान देते हैं, तो उन्हें इस कर से बाहर कर दिया गया है। मैंने इसके कारण के पीछे जाने की बहुत कोशिश की। जिस दिन बजट पेश हुआ था, हमारे वित्त मंत्री जी की पत्नी, जो इस देश की एक विरट अधिवक्ता हैं, उन्होंने वित्त मंत्री जी को दस में से दस नम्बर दिए। मैंने उसका कारण तलाशने की कोशिश की कि उनकी पत्नी ने उन्हें दस में से दस नम्बर क्यों दे दिए, तो मालूम हुआ कि वे अधिवक्ता हैं और उन्होंने अधिवक्ताओं को ऐसे सेवा कर से मुक्त कर दिया है, इसलिए दस में से दस नम्बर पा गए। मैं ऐसा समझता हूं कि दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। यदि आप अधिवक्ताओं को इस सेवा कर से मुक्त रखते हैं तो सीए लोगों ने क्या पाप किया है, उनसे क्यों लेते हैं और यदि सीएज़ को उसके कवर के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, तो अधिवक्ताओं को क्यों मुक्त करते हैं। इसका कोई उत्तर वित्त मंत्री जी के पास नहीं है। इसमें एक पैरिटी होनी चाहिए। उसी तरह इन्होंने उत्पाद कर में एक क्लॉज़ लगा दी है कि जो शक्ति से नहीं चलने वाले उत्पाद हैं, उनके ऊपर नए सिरे से उत्पाद कर लगाया जा रहा है। दो

साल पहले गांवों में काम करने वाले छोटे लोग, कपड़ा साफ करने वाले लोग हैंड मेड सोप से कपड़ा साफ करने का काम करते थे। इस साल उसे उत्पाद कर में ला दिया। कुटीर उद्योग मंत्री जी कहते हैं कि कुटीर उद्योगों का गांव-गांव विस्तार करना है और हाथ से बनने वाले उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए हमें ग्रामीण उद्योगों को आगे बढ़ाना है। आपने इसके ऊपर उत्पाद कर लगा दिया। मैं ऐसा समझता हूं कि यह गलत है, इसे वापिस लिया जाना चाहिए। आपने छाते के ऊपर कर लगा दिया। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर टैक्स को खत्म किया जाना चाहिए। यह बड़ी विचित्र बात है कि आपने आइसक्रीम के ऊपर उत्पाद कर खत्म कर दिया। कोका कोला, पेप्सी कोला पर उत्पाद कर खत्म हो गया, उन्हें आपने सस्ता करने का काम किया। इत्र के ऊपर कर लगा दिया। कन्नौज के साधारण गरीब लोग, सिकन्दरपुर के साधारण गरीब मुसलमानों के घर में कुटीर उद्योग की तरह हाथ से इत्र बनाया जाता है। इसे टैक्स के दायरे में ला दिया, इसके ऊपर टैक्सेशन होगा जिससे साधारण लोगों का कारोबार खत्म होगा।

हम कहना चाहते हैं कि यह बड़ी विचित्र बात है कि इस देश में कार उत्पादक को आपने छूट दे दी। हमारे देश की कार उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों का 90 फीसदी से अधिक आधिपत्य हो गया है[R17]। हमारे देश में छोटी कार बनाने वाली एक ही कम्पनी है जिसे हम टाटा कम्पनी कह सकते हैं। आपने कार के ऊपर छूट दी है। हमारा कहना है कि जो आदमी ढाई लाख की कार खरीद सकता है, वह उसके साथ पांच हजार रुपये और जमा करा सकता है। आपने कार के ऊपर छूट दी है जबिक छाते के ऊपर उत्पाद कर लगा दिया है। इस देश में जो लोग बाहर से बड़ी कार लाते हैं, उनको आपने सीमा कर में छूट दी है। इस पर आपका कहना है कि वह टूरिस्ट प्रमोशन बिजनेस है इसलिए बड़ी कार लाने पर छूट है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है ? जो कार डेढ़, दो और ढाई करोड़ रुपये में खरीदकर इस देश में आ रही है, 25-30 लाख रुपये कर की चोरी करके इस देश में आ रही है, उसका इस्तेमाल बड़े लोग करते हैं। वे एक कार पर 30 और 35 लाख रुपये टैक्स की चोरी कर रहे हैं, इस बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि टूरिस्ट प्रमोशन बिजनेस के नाम पर बड़ी कार को इस देश में लाकर, निजी उपयोग करके 35-40 लाख रुपये टैक्स की चोरी को बंद करने का एक ही रास्ता है कि किसी भी रूप में बाहर से आने वाली कार चाहे वह किसी भी बहाने से आती हो, टैक्सेबल होनी चाहिए और उस पर सीमा कर लगना चाहिए।

सभापित महोदय, हमारे देश में सन् 2010 में कामनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं। इस बहाने न जाने कितनी बड़े पैमाने पर ये कारें आयेंगी, इस बारे में आप सोच नहीं सकते। मेरा आपसे आग्रह होगा कि चाहे इस देश में निर्मित होने वाली कार जिसके ऊपर उत्पाद कर में छूट दी गयी है या विदेशों से आयातित कार जिसके ऊपर सीमा कर में छूट दी गयी है, ये दोनों छूटें समाप्त की जानी चाहिए। जो साधारण चीजें हैं जैसे ट्रैक्टर है, उसके निर्माण पर आपने उत्पाद कर खत्म कर दिया है। लेकिन उत्पाद कर खत्म होने के बाद वेट के जिरये उनको जो दूसरी मिलने वाली सुविधाएं हैं, वे भी समाप्त हो गयी हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि कर समाप्त होने से ट्रैक्टर कम्पनियों की जो सामान्य स्थिति होनी चाहिए, वह आज घाटे में चली गयीं। उन कम्पनियों की हालत और बदतर होती गयी। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ट्रैक्टर की खरीद पर मिलने वाली राज सहायता में वृद्धि होनी चाहिए। उस पर मामूली 3 या 4 परसेंट का उत्पाद कर लगाया जाये और दूसरी मिलने वाली सुिवधाओं को जिंदा किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस विाय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापित महोदय, मै वित्त विधेयक, 2006 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यूपीए सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि इस देश में रहने वाला हर वर्ग संतुट हो चाहे वह उद्योग-धंधे में लगा हो, कृि। क्षेत्र में लगा हो या दूसरे कामों में लगा हो। उन सब लोगों की उन्नित हो, इस बारे में सरकार पूरा प्रयास कर रही है। मैं समझता हूं कि विगत 20 महीनों के प्रयास से सरकार ने आम आवाम को संतुट करने का प्रयास किया है।

## 14.14 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav *in the Chair*)

यह बात सही है कि सरकार देश के विकास की गति को भी तीव्र करने का सार्थक प्रयास कर रही है। मगर इसके नतीजे और सकारात्मक निकले, उसके लिए सरकार को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्री जी को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा ताकि देश में जो रहने वाले लोग हैं, खेत और खलिहान में रहने वाले लोग हैं, जो पिछड़े राज्य हैं, वे तरक्की कर सकें। अब क्या वजह है कि वे पिछड़े प्रदेश आगे तरक्की नहीं कर पा रहे  $c\acute{e}$  [r18]? खेत-खिलहान में काम करने वाले लोग आज भी संतूट नहीं हैं। बिहार जैसे कई प्रदेश जैसे, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि कई प्रदेश हैं जिनके हालात ठीक नहीं हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति वहां के पिछड़ेपन होने की वजह से ठीक नहीं है। खासकर बिहार के बारे में मैं बताना चाहता हूं और बड़े विस्तार से माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह जी ने बैंकों के कार्यकलापों के विाय में चर्चा की है कि वहां क्या अन्याय हो रहा है। निश्चित तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि विभिन्न बैंकों में जो पैसे जमा होते हैं, ठेला वाले, रिक्शा वाले और भी मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, वे अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में जमा करने का काम करते हैं। इसके पीछे दो उद्देश्य होते हैं। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि उनकी बचत हो रही है और दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि उनके राज्य का विकास हो रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन्स की अगर अवहेलना कोई कर रहा है तो वह बिहार के बैंक हैं। सी.डी रेशियो इं वेस्टमेंट के माध्यम से सरकार जो पैसा वहां के किसानों के लिए, वहां उद्योग-धंधा लगाने के लिए और दूसरी चीजों में खर्च करेगी, वहां केवल 15 प्रतिशत पैसा देने का काम कर रही है और बिहार की जो गाढ़ी कमाई है, उसका 85 प्रतिशत पैसा दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। बिहार कैसे तरक्की करेगा ? बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा प्रदेश है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन्स की अवहेलना हो रही है। हमने कई बार सदन के माध्यम से इस ओर ध्यान आकृट करवाया है लेकिन आज तक ठोस कार्रवाई वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री जी के माध्यम से नहीं की जा रही है जिसकी वजह से बिहार जो कि एक पिछड़ा प्रदेश है, वह अपना हक नहीं ले पा रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह निश्चित तौर पर कोई ठोस कार्रवाई करें, कोई डाइरेक्शन दें ताकि बिहार के बैंकों में जो गरीब बिहारियों का पैसा जमा हो रहा है, उसका इंवेस्टमेंट सही ढंग से बिहार के विकास में और खेत-खलिहान में लग सके।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृट करना चाहूंगा कि अभी जो राशि वित्त मंत्रालय द्वारा आबंटित की जाती है, योजना आयोग द्वारा आबंटित की जाती है, उसका क्राइटीरिया है कि उस राज्य के आन्तरिक संसाधन के आधार पर पैसा देने का वे काम करते हैं परंतु बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसके पास आन्तरिक संसाधान नहीं है और उसके आधार पर जब पैसा देने का काम कर रहे हैं तो बिहार और बिहार जैसे दूसरे कई प्रदेशों के साथ नाइंसाफी और बेईमानी इस तरह से की जा रही है। इसलिए आपको नियम में परिवर्तन करना पड़ेगा कि बिहार के पास कोई आन्तरिक संसाधन नहीं है, वहां हर साल बाढ़ और सुखाड़ आती है। बिहार के अपने कोई आन्तरिक संसाधन नहीं हैं। उसके आधार पर यदि राशि को आबंटित कर दिया जाएगा तो बिहार को उसका हक नहीं मिलेगा।

मैं आपको गाडगिल फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूं[R19]। गाडगिल फार्मूले के तहत राज्यों को उनकी गरीबी, आबादी, फटेहाली, बदहाली और पिछड़ेपन के आधार पर वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के माध्यम से पैसा

देना चाहिए। मगर आज तक यह फार्मूला लागू नहीं हो रहा है और जब तक गाडिगल फार्मूला लागू नहीं होगा, बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश, जहां गरीबी है, भुखमरी है, फटेहाली है, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, का विकास नहीं हो सकता है। क्या उनका हक हमेशा इसी तरह नहीं दिया जाएगा? जब तक इस फार्मूले को लागू नहीं किया जाएगा, बिहार जैसा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकेगा, बिहार की गरीबी और वहां की फटेहाली नहीं दूर हो सकेगी, वहां विकास नहीं हो सकेगा। माननीय वित्त मंत्री जी मैं आपका ध्यान गाडिगल फार्मूले की ओर आकृट करना चाहूंगा और निवेदनपूर्वक कहूंगा कि इसे एडाप्ट कीजिए एवं परम्परागत नियमों-कानूनों के अन्तर्गत साधनों के आधार पर आप जो राशि का आवंटन करते आ रहे हैं, उसमें परिवर्तन करने का काम कीजिए तािक बिहार जैसे पिछड़े प्रदेशों को उनका हक एवं न्याय मिल सके और वे गरीबी से आगे निकल सकें। अगर असमानता रहेगी तो आदमी कैसे आगे बढ़ सकेगा, कैसे बिहार जैसा प्रदेश आगे बढ़ सकेगा? आज बिहार में विकास की धारा की बहुत कमी है और मैं समझता हूँ कि देश की आजादी के इतने वााँ बाद तक, प्रथम पंचर्वािय योजना से लेकर अब तब जो राशियां आवंटित की जाती रही हैं, अगर वे राशियां उसकी गरीबी और फटेहाली के आधार पर दी गयी होतीं तो बिहार भी आज दूसरे सम्पन्न प्रदेशों की बराबरी कर सकता था।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अन्य की ओर भी आकृट करना चाहूंगा। इस देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति इस देश के खेत-खिलहानों में काम करने वाले लोग हैं जो हमारे लिए अन्न उपजाते हैं। वही हमारा बेसिक आधार हैं, मगर आज क्या हो रहा है। क्या खेतों-खलिहानों में काम करने वाले आम लोग आज संतृट हैं? क्या वे खेतों-खलिहानों में काम करना चाहते हैं? नहीं, वे आज खेतों-खलिहान में काम नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि खेती से लोगों का आर्काण घट रहा है। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति जो उद्योग में लगा हुआ है, वह चाहता है कि हम अगर उद्योग में लगे हैं तो हमारा व्यापार मुनाफे का व्यापार हो, घाटे का व्यापार कोई नहीं करना चाहता है। हमारी आबादी का 75 प्रतिशत खेतों-खलिहानों पर निर्भर करता है, खेत-खलिहान से अपनी बेरोजगारी दूर करता है, खेत-खलिहान में काम करे इस देश को पूंजी देने का काम करता है। मगर उन पूंजी देने वाले लोगों की आज क्या स्थिति हो गयी है? कई ऐसे प्रदेश हैं जहां किसान बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे खेत-खलिहान में अपनी मेहनत और पसीने से, पूंजी लगाकर अन्न उपजाने का काम करते हैं, मगर जब वह अनाज बाजार में जाता है तो उसे कोई भी उचित मूल्य पर खरीदने वाला नहीं मिलता है, किसान को उसकी उपज का सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए वह यह काम नहीं करना चाहता है किसान कर्ज लेता है, वह औने-पौने रेट पर कर्ज लेता है, बड़े-बड़े लोगों से कर्ज लेता है, क्योंकि इसमें घाटा हो रहा है। मगर आज वह उसका ब्याज भी नहीं अदा कर पा रहा है, वह कर्ज का मूलधन नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और उपाय नहीं बच रहा है। जब तक आप किसानों को सपोर्ट प्राइस देने का काम नहीं करेंगे, उसकी लागत वापस नहीं होगी, किसान का आर्काण खेती की ओर नहीं बढ़ेगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, किसान नौकरी की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं, बेरोजगारी नहीं घट पा रही है और हमारी आबादी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, उससे तमाम समस्याएं सामने आएंगी। आज पूरे देश में जो अशान्ति का वाता वरण बन रहा है, नक्सलवाद बढ़ रहा है, उसका कारण यही गरीबी है। अतः अगर लोगों को काम दिया जाए तो निश्चित तौर पर यह अशान्ति शान्ति में बदल जाएगी। इसके लिए आपको रोजगार के साधन बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हमारे देश में और पूरी दुनिया में आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया है, विदेशी कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं और हमारी अपनी कंपनियां बन्द हो रही हैं।

भारत में उद्योग धंधों में जो लोग लगे हुए हैं, उनके उद्योग बंद हो रहे हैं और नौकरियों के अवसर कम होते जा रहे हैं। आज देश का नौजवान चाहता है कि वह कोई काम करके अपनी आजीविका कमाए। लेकिन आज भी बहुत बड़ी तादाद में लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। यह बात ठीक है कि आपने रोजगार देने की बात कही है और उसके लिए कानून बनाकर राट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना शुरू करके ठोस कदम उठाने का प्रयास किया है। इस योजना के लिए धन भी आबंटित किया है। मैं इस बात का तो स्वागत करता हूं, लेकिन यह राशि अपर्याप्त है। जब तक आप किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं देंगे, खेती को मुनाफे का धंधा नहीं बनाएंगे, तब तक देश में खुशहाली नहीं हो सकेगी।

आपने अपने बजट में इरीगेशन के लिए धन की व्यवस्था करने की बात कही है। मैं मानता हूं कि सिंचाई के लिए बरसों से बजट में कम राशि का प्रावधान किया जाता रहा है और इस बार भी यह राशि अपर्याप्त है। आज हमारी कई नहरें और कैनाल खराब पड़ी हैं। आपका कमिटमेंट है कि सरकार किसानों को अधिक फायदा देकर उनकी उपज की क्षमता बढ़ाना चाहती है, लेकिन वह कैसे बढ़ेगी, इस पर भी विचार करना होगा। जो हमारी निर्धारित क्षमता है, आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार इस बार 30 से 40 प्रतिशत कम अनाज उत्पादन होने की आशंका जताई गई है। यह देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। यह आपकी ही रिपोर्ट में बताया गया है। अगर उत्पादन कम होगा तो देश के लिए मुश्किल होगी इसलिए यह ट्रेंड ठीक नहीं है। आपने अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा है और दूसरी तरफ आर्थिक सर्वे में लक्ष्य के विपरीत उत्पादन होने का ट्रेंड आ रहा है। इसलिए यह कोई शुभ संकेत नहीं है।

राट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण दायित्व था कि कृि। पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह ठीक है कि हमने ऐसा किया भी है और इस साल 209.3 मिलियन टन खाद्यान्न होने की आशा है, जो कि पिछले वा की तुलना में पांच मिलियन टन अधिक है, लेकिन आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन क्षमता प्रभावित होने की आशंका भी जाहिर की गई है। इसलिए आपको इस बारे में कुछ न कुछ करना होगा।

हमारे देश में असिंचित भूमि काफी बड़ी है। सिंचित क्षेत्र पर भी प्रकृति की मार हर साल सूखे या बाढ़ के रूप में होती रहती है, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं हो पाती। अगर आप 100 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के लिए पानी की सही व्यवस्था कर दें और पर्याप्त राशि की व्यवस्था कर दें, तो उससे किसान अपना उत्पादन बढ़ा सकता है और इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी और मजबूत हो सकती है। जब तक खेत-खिलहान या किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी 75 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। इसिलए पहले उन्हें संतुट करना होगा। उनके लिए विशा रूप से व्यवस्था करनी होगी और उन्हें विशा ताकत देनी होगी। इसके लिए आप चाहें तो दूसरी मदों में कटौती कर सकते हैं, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी दूर करने का यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे देश का किसान खुशहाल हो जाएगा और देश भी तरक्की की ओर अग्रसर होगा।

आप गेहूं का आयात करने जा रहे हैं, यह शुभ संकेत नहीं है। इससे मैसेज जाएगा कि और देश के बड़े-बड़े ट्रेडर्स होर्डिंग करने का काम करेंगे, अपने गोदामों में अनाज का मंडारण करके बाद में उसे कालाबाजार में बेचने का काम करेंगे। इससे लोगों में दहशत कायम हो जाएगी कि देश में गेहूं का आयात हो रहा है, इसका मतलब गेहूं का अभाव होने वाला है। इसलिए यह ठीक संकेत नहीं है। इससे बड़े-बड़े व्यापारियों को फायदा होगा, क्योंकि वे गेहूं अपने गोदामों में जमा करके, उसका कृत्रिम अभाव पैदा करके ऊंचे दामों में बेचने का काम करेगें। इसलिए सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

मैं बैंकों की ब्याज दरों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और यूपीए सरकार के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उचित कदम उठाया है[R20]। वााँ से यह मांग होती रही है कि किसानों के लिए ब्याज दर 7 प्रतिशत की जाए और वह आपने की है लेकिन कम समय के लिए की है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ वा पूर्व कृि विशोज्ञ डा. स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी और उसने किसान किस तरह आगे बढ़ सकते हैं इस पर स्टडी करने के

बाद, एक रिपोर्ट दी थी। छोटे, मझौले और सीमांत किसानों की स्थिति का आकलन करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उन्होंने बताया था कि किसानों को कृति उपकरणों के लिए अधिक दाम देना पड़ता है बैंक से लोन पर अधिक ब्याज देना पड़ता है। आपने ट्रेक्टर के दाम कम किये हैं, उसके लिए धन्यवाद। स्वामीनाथन जी ने कहा था कि किसानों को ऋण पर ब्याज तीन से चार प्रतिशत किया जाए। जब तक ब्याज दर तीन से चार प्रतिशत नहीं हो जाएगा, तब तक किसानों को राहत नहीं मिलेगी। बड़े-बड़े लोगों के मकानों और वाहनों के लिए बैंक 6 प्रतिशत पर ऋण देता है लेकिन किसान को नहीं। जब तक किसानों के लिए ब्याज दर तीन प्रतिशत नहीं करेंगे, तब तक आप किसानों को राहत नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसकी सारी कमाई तो ब्याज में ही चली जाती है। जिस तरह से मंहगाई बढ़ रही है उसी तर्ज पर किसानों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। जब तक किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा और बैंकों से कम दर पर ऋण नहीं मिलेगा और स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को राहत नहीं मिलेगी, तब तक किसानों का हित नहीं हो सकता है।

सभापित जी, बैंक जब किसानों को ऋण देते हैं तो उनके खेत गिरवी रख लेते हैं और किसान बैंक के चक्कर लगा-लगाकर परेशान हो जाता है और कर्ज लेने की अपनी इच्छा को छोड़ देता है। बैंक का कर्जा आज केवल बड़े-बड़े साहूकारों को मिलता है, बैंक कम ब्याज दर पर साहूकारों को ऋण देता है किसानों को ऋण नहीं देता है। आज बैंक भी किसानों के साथ मुनाफाखोरों की तरह व्यवहार कर रहा है। बैंक किसानों के हित में अगर अपने नियम-कानूनों को बदलेगा, तभी किसानों को फायदा होगा और वह बैंक से ऋण ले पाएगा। एक साधारण आदमी बिना रिश्वत दिये बैंक से लोन नहीं ले सकता है। उसके लिए बिना रिश्वत दिये लोन लेना मुश्किल है। आप उन अधिकारियों पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितने बैंक अधिकारियों को दंडित किया है और कितने बैंक अधिकारियों ने किसानों की परेशानियों का सर्वे किया है? आपने कहा है कि हम इतना पैसा किसानों को लोन देंगे। सात प्रतिशत ब्याज दर आपने किसानों के लिए कर दी है, लेकिन उसका फायदा अभी तक किसानों को नहीं पहुंचा है। उसका फायदा किसानों तक पहुंचना चाहिए[<u>r21</u>]।

में दो-तीन बातों की तरफ आपका ध्यान आकृट करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। इस देश की आर्थिक स्थिति को यदि आप मजबूत करना चाहते हैं, तो किसानों की तरफ आपको ध्यान ले जाना पड़ेगा। इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि आप इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और विकास की दर, जैसा कि माननीय प्र ाधानमंत्री जी ने कहा कि हम दस प्रतिशत तक विकास दर को ले जाना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि किसान, जिनकी इतनी बड़ी आबादी है, उनके बिना सहयोग के यह काम पूरा नहीं हो सकता है। आप खेती को क्यों नहीं उद्योग का दर्जा देते सभी को उद्योग का दर्जा मिल रहा है। किसानों की मांग रही है कि इसे उद्योग का दर्जा दिया जाए। अगर आप उद्योग का दर्जा देंगे, तो काफी सह्लियत देनी पडेंगी। इस संबंध में आप कोई ठोस निर्णय लेने का काम करें। मैं निवेदन के साथ यह कहना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश बिहार और दूसरे प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और भी कई ऐसे प्रदेश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, आप वहां विशा व्यवस्था कीजिए। आज बिहार प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत खराब कितने दुर्भाग्य की बात है, आपने 890 किलोमीटर रोड सैंक्शन कर दी, पर एक भी रोड पर काम नहीं लगाया। वहां पर काम क्यों नहीं लग रहा है? आपने चालीस प्रतिशत और साठ प्रतिशत की प्रक्रिया अपनायी है। जो इन्वेस्टर होगा, वह साठ प्रतिशत खर्च करेगा और चालीस प्रतिशत सपोर्ट प्राइज दिया जाएगा, पर अभी तक एक भी रोड का काम नहीं हुआ। देश के अंदर सभी प्रदेशों में काम लग गया, मगर वहां नहीं हुआ। आप जो टेंडर दे रहे हैं, लेकिन कोई सम्वेदक नहीं आ रहा है। इसमें आप कोई परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप बिहार की उपेक्षा करने का काम क्यों कर रहे हैं? आप इस प्रदेश को न्याय देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भी सड़कों की हालत बहुत खराब है। आज सुबह भी मैंने शून्य काल के माध्यम से माननीय रोड कंस्ट्रक्शन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृट किया था। वित्त मंत्री जी यह आपके स्तर का मामला है। आपका बनाया हुआ यह नियम है, इसमें कुछ परिवर्तन करने का काम कीजिए, ताकि वहां सड़कों की जो बदहाली है, उससे हम निजात दिला सकें। मैं यह निवदेन करना चाहता हूं कि बिहार को विशो पैकेज दिया जाए। बिहार का एनडीके के

भाइयों ने बंटवारा कर दिया। एनडीए सरकार ने कहा था कि हम बिहार को विशा पैकेज देंगे। वहां से सब कुछ चला गया है। वहां न बिजली है, न उद्योग-धंधे हैं, वहां कुछ भी नहीं है। बिहार में वही पानी है, वही बाढ़ है, वही सुखाड़ है, वही खेत-खिलहान हैं। अब वहां कोई उद्योग-धंधा नहीं लगा रहे हैं, सारा का सारा उस प्रदेश से चला गया। मैं कहना चाहता हूं कि आप बिहार को विशो पैकेज क्यों नहीं देना चाहते हैं, ताकि बिहार आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। गाडगिल फार्मूले के आधार पर आप राशि आवंटित करने का काम कीजिए, जिससे बिहार अपनी बदहाली से निकल सके। बिहार और बिहारी लोग भी इस देश का हिस्सा हैं। लगभग नौ करोड़ जनता उस प्रदेश में है। क्या आप सोचते हैं कि नौ करोड़ जनता की उपेक्षा करके, बिहार को छोड़कर देश आगे बढ़ जाएगा? वह आगे नहीं बढ़ सकता है। बिहार में श्रम है, बिहार में मजबूती है, उरवरा शक्ति है और जमीन है, वहां बहुत क्षमता है,, माननीय वित्त मंत्री जी सिर्फ आपकी कृपा की जरूरत है। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। वहां बिजली की हालत बहुत खराब है। आपने वहां राजीव गांधी विद्युत मिशन बना दिया, लेकिन कहीं काम नहीं हो रहा है। भारत सरकार की जिस एजेंसी को काम दिया, वह एक गांव में भी काम करने का काम नहीं कर रही है। इसलिए इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं वित्त मंत्री जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने देश के विकास को गति देने के लिए कृपा की है। मैं यूपीए सरकार के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और कहना चाहता हूं आप जिस दृढ्प्रतिज्ञा के साथ देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उस ले जाइए, हम सब लोगों का सहयोग आपको प्राप्त है। मगर आप उस प्रांत की तरफ भी ध्यान दीजिए, जो वर्ग उपेक्षित रहा है, जो पिछड़ा रहा है, जो गरीबी और फटेहाली में रहा है, उसकी तरफ ध्यान देने का काम कीजिए। बिहार को विशो पैकेज देते हुए उसे आत्मनिर्भर होने का मौका देने का काम कीजिए।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार प्र ाकट करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में वित्त विधेयक रखा है। जब बजट की चर्चा पूरी हुयी और वित्त मंत्री जी ने रिप्लाई दिया, तब मुझे लगता था कि बजट में जो बहुत सारी एंबीग्विटी हैं, उन्हें वे दूर करेंगे और छोटे-छोटे उद्योग पर, छोटे किसानों और आम आदमी को बजट से जो परेशानी हो रही है, वे उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करåMÉä[c22]। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मैं वित्त मंत्री जी को कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर वित्त मंत्री जी इसका क्लेरिफिकेशन करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्जैम्पशन दी जाती हैं, सब्सिडी दी जाती है, उसमें सरकार थोड़ी कटौती करके खत्म करने जा रही है। सरकार इस बारे में ठीक ढंग से सोचे, इसमें ऐसी कटौती न करे जिससे उद्योग को परेशानी हो, लोगों को परेशानी हो और किसानों को परेशानी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यह कहना चाहुंगा कि अभी जो उद्योग स्माल स्केल सैक्टर में आते हैं, टाइनी सैक्टर में आते हैं, ऐसी इन्डस्ट्रीज़, जो पावर ड्रिवन पम्प यानि सब्मर्सिबल पम्प बनाती हैं, को एक करोड़ की लिमिट तक एक्जैम्पशन दी गई थी। लेकिन वह एक्जैम्पशन खत्म कर दी गई है और उस पर आठ परसेंट एक्साइज़ ड्यूटी लगा दी गई है। यू.पी.ए. सरकार एक तरफ एग्रीकल्वर की, किसानों की मदद करने की बात कहती है और दूसरी तरफ सब्मिर्सिल पम्प के ऊपर आठ परसेंट की एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। इससे किसानों को परेशानी होगी, इतना ही नहीं 95 परसेंट छोटी यूनिट्स हैं, जहां पम्प मैन्यूफैक्चर होते हैं, जहां सब्मर्सिबल पम्प बनते हैं जिससे पानी लिफ्ट होता है और सिंचाई होती है। इन 95 परसेंट छोटी यूनिट्स में सब्मिर्सिबल पावर ड्रिवन पम्प मैन्यूफैक्चर होते हैं। सरकार ने इन 95 परसेंट छोटी यूनिट्स पर आठ परसेंट की एक्साइज़ ड्यूटी लगा दी है। इसके लिए एक कन्डीशन कर दी कि अगर आप आई.एस.आई. स्टैंडर्ड मार्का नहीं लगाएंगे, बी.आई.एस. के आधार पर नहीं लगाएंगे तब आपको आठ परसेंट की

ड्यूटी देनी होगी, अगर आप आई.एस.आई. मार्क के पम्प लगाएंगे तो आपको आठ परसेंट ड्रूयूटी से एक्जैम्पशन मिलेगी। आई.एस.आई. मार्क के पम्प लेने में बहुत कठिनाई होती है, टाइम कन्ज्यूम होता है, पैसा भी बहुत जाता है और स्टेशनरी वर्क भी बहुत करना पड़ता है। उनके अनुसार आई.एस.आई. मार्क के पम्प पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएंगे Otherwise, you have to pay this eight per cent duty as excise. यह कहां का न्याय है? मान लीजिए आई.एस.आई. मार्क का बना है या अच्छी क्वालिटी का बना है, यह मैं मानता हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छोटी यूनिट्स पर आठ परसेंट एक्साइज़ ड्यूटी लगा दें। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 95 परसेंट छोटी यूनिट्स इसे बनाती हैं और इन पर आठ परसेंट की एक्साइज ड्यूटी लगा दी है जबकि सारे देश में सम्मर्सिबल पम्प बेचे जाते हैं, लोग इन्हें लेते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, आज तक कोई कम्प्लेंट नहीं हुई है इसलिए आठ परसेंट की एक्साइज ड्यूटी को सरकार इमीडिएटली विड्रॉ करे। लोकसभा के चुनाव में कहते हैं "कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ" लेकिन अब आम आदमी को लगता है कि कांग्रेस का हाथ हमें खत्म करने जा रहा है। I would like to request the hon. Finance Minister, through you, to withdraw this proposal from the Finance Bill. It is very very important.

जैसा मैंने एक्जैम्पशन और सब्सिडी के बारे में कहा, सरकार जिस तरह से आगे बढ़ी है इससे ग्रोथ नहीं बढ़ा है इससे ग्रोथ कम होता जा रहा है। माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह जी ने भी कहा कि टैक्स का नेटवर्क इस तरह से बढे कि लोगों को परेशानी न हो और वे आसानी से दे सकें। टैक्स प्रपोजल्स में कितनी इर्रेशनिल्टी है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं[c23]। मैनमेड पोलियस्टर यार्न है, उस पर सरकार ने बजट में 16 परसैन्ट एक्साइज ड्यूटी को घटाकर आठ परसैन्ट कर दिया है। I appreciate the Government for that. हम तो यह चाहते थे कि जो आठ परसैन्ट ड्यूटी है, उसे सरकार जीरो कर दे, जैसे कॉटन पर जीरो परसैन्ट एक्साइज ड्यूटी है। वैसे ही सरकार मैनमेड फैब्रिक पर भी कर दें। लेकिन आपने इसे घटाकर आठ परसैन्ट किया है, यह अच्छी बात है। जिस तरह से छोटे-छोटे सबमर्सिबल पम्प बनाने वाले लोग हैं, वैसे ही छोटे-छोटे स्पिनर्स हैं। देश भर में करीब 30 ऐसी छोटी-छोटी प्रोसैसिंग यूनिट्स हैं, जो चिप्स से पी.ओ.वाई. बनाते हैं। इन चिप्स पर भी आज 16 परसैन्ट ड्यूटी है। जब आपने पी.ओ.वाई. पोलियस्टर यार्न पर ड्यूटी को 16 परसैन्ट से घटाकर 8 परसैन्ट किया है तो इस पर भी ड्यूटी को 16 परसैन्ट से घटाकर आठ परसैन्ट करना चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? छोटे आदमी को नुकसान भले ही हो जाए, लेकिन बड़े आदमी को उससे फायदा पहुंचना चाहिए। यह सरकार की नीति है। अन्यथा सरकार यह नहीं करती कि उस पर तो ड्यूटी घटा दी और इस पर 16 परसैन्ट से आठ परसैन्ट नहीं की। मैं बताना चाहता हुं कि इस क्षेत्र में करोड़ो रुपये का इनवैस्टमैन्ट है। इनसे 12 लाख मीट्रिक टन पोलियस्टर यार्न बनता है। जिसमें से 40 परसैन्ट, यानी पांच लाख टन छोटे स्पिनर्स बनाते हैं। ये बंद हो जायेंगे और हजारों कारीगर बेकार हो जायेंगे। करोड़ों का इनवैस्टमैन्ट बेकार हो जायेगा। इसीलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज चिप्स पर 16 परसैन्ट की जो ड्यूटी है, उसे घटाकर आठ परसैन्ट कर दें, जैसे आपने पी.ओ.वाई. पर घटाई है। इतना ही नहीं इसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी साढ़े 12 परसैन्ट है, उसे भी घटाकर पांच परसैन्ट पर लाना चाहिए। वैसे हम तो उसे खत्म करने पक्ष में हैं। लेकिन फिर भी सरकार को रेवेन्यु चाहिए तो इसे साढ़े 12 परसैन्ट से घटाकर पांच परसैन्ट करना चाहिए। It is very important. Otherwise, the textiles industry, in general, and the manmade textiles industry, in particular, would be ruined. Nobody is protecting the textiles industry. I would like to request the hon. Finance Minister, through you, Sir, to give some benefit, some type of concession to the manmade textiles industry, otherwise it has no future. जिस तरह से क़ॉटन इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए सरकार ने प्रयत्न किया है, उसी तरह मैनमेड टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज को भी बचाने के लिए इसमें जो इर्रेशनेलिटी है, उस इर्रेशनेलिटी को सरकार दूर करे और चिप्स पर एक्साइज ड्यूटी 16 परसैन्ट से कम करके आठ परसैन्ट करे और कस्टम ड्यूटी साढ़े 12 परसैन्ट से कम करके पांच परसैन्ट करे।

सभापति महोदय, आज देश के कोऑपरेटिव बैंक्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसा माननीय सदस्य, श्री मोहन सिंह जी ने तथा एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि गांवों में किसानों के लिए और शहरों में वीकर सैक्शंस के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स का बहुत अधिक महत्व है। आज शेड्यूल बैंक्स जिस तरह से बड़े या मीडियम स्केल के इंडस्ट्रियलिस्ट्स को मदद करते हैं, उनका फाइनैन्स करते हैं, उन्हें लोन देते हैं, उसी तरह से आज कोऑपरेटिव बैंक्स गांवों में किसानों को और शहरों में वीकर सैक्शंस को जरूरत पड़ने पर लोन देते हैं, उनका फाइनैन्स करते हैं। सरकार ने शेड्यूल बैंक को टच नहीं किया है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक को इंकम टैक्स की धारा 80पी. में जो एक्जैम्पशन मिलती थी, उसे सरकार ने विदड़ा कर लिया है। यानी कि सरकार ने उनके प्रोफिट को टैक्सेबल बना दिया। कुल मिलाकर आज देश में जितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनका मुनाफा लगभग 1400-1500 करोड़ है। इनसे पांच सौ करोड़ रुपये लेने के लिए सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक्स के प्र गोफिट को टैक्सेबल बना दिया। सरकार ने इनसे लगभग 500 करोड़ रुपये लेने का लक्ष्य तय किया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हं कि कल ही मेरे एक प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने बताया था कि शेड्यल बैंक्स के डिफॉल्टर्स से सरकार ने कितनी रकम लेनी थी। वह रकम 17 हजार करोड़ रुपये है। लेकिन सरकार ने ऐसे डिफॉल्टर्स से इस रकम का लेना रिटन ऑफ कर दिया[R24]। 17 हजार करोड़ रुपए डिफाल्टरों के माफ कर दिए। हम 17 हजार करोड़ रुपए उनके माफ कर देते हैं, लेकिन आज जो कोआपरेटिव बैंक बड़ी क्रिटिकल पोजिशन से गुजर रहे हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं कर रहे हैं। सरकार ने ऐसा कानून एवं रूल बनाया है कि आज ये कोआपरेटिव बैंक चलाने बड़े मुश्किल एवं दुकर हैं। जिन्होंने सेवा का संकल्प लिया है, वे लोग कोआपरेटिव बैंक चला रहे हैं और ये बैंक कोई कमर्शियल बैंक जैसे नहीं हैं। आज जो भी डिफाल्टर हैं, उनके ऊपर आप एक्शन लें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कोआपरेटिव बैंक किसानों एवं वीकर सैक्शन के लिए बहुत ही आशीर्वाद के समान हैं, ऐसे बैंकों के प्रोफिट को टैक्सेबल बनाना मुझे लगता है कि it is irrational. इसे लगाने से क्या फायदा होगा? जैसा मैंने कहा कि हमारा जो टैक्स का नेटवर्क है, हमने सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज़ आदि में बहुत सारे लोगों को कवर कर लिया, लेकिन सेवा के आघार पर चलने वाले जो बैंक्स हैं, उन बैंकों से भी, हमने जो उनके प्रोफिट को टैक्सेबल बनाया है, उसका जो टैक्स है, उसमें भी मुझे लगता है कि सरकार को उसे दूर करना चाहिए। It is my request to the hon. Finance Minister to remove it fully. So far as the proposal under Section 80P of the Income Tax Act is considered, the exemption should not be withdrawn. It should be continued. इनका जो डिपोजिट है, उसे भी एक्सक्लुड कर दिया। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से यह जो प्रपोज़ल है, यह कोआपरेटिव बैंक के बारे में बनाया है। यह तो इनडायरेक्टली कोआपरेटिव एक्टीविटी को खत्म करने के लिए ही बनाया है। मुझे लगता है कि इन दोनों के बारे में वित्त मंत्री जी जरूर सोचेंगे। कोआपरेटिव एक्टीविटी, जो सारे देश भर में है, जो आज तक लाखों लोगों की मदद करते हैं, उसके जो प्रोफिट हैं, उसे आप टैक्सेबल न बनाएं, यह मेरी आपसे प्र गर्थना है।

महोदय, देश में लाखों-करोड़ों की तादाद में सीनियर सिटिजंस हैं, उन्हें इस बजट के द्वारा कोई रिलीफ एवं बेनिफिट नहीं दिया। उनकी 1.85 लाख की लिमिट है, लेकिन जो कमेटी बनी थी, उन्होंने सिफारिश की थी कि 2.5 लाख तक उसे एक्सटेंड करना चाहिए। मैं फिर से आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो देश के करोड़ों सिटिजंस हैं, उनकी आज जो हालत है, उनके लिए भी जो टैक्स लिमिट 1.85 लाख है, उसे बढ़ा कर ढाई लाख तक ले जाना चाहिए, जो कमेटी की सिफारिश है। ऐसा नहीं कि वैसा सुझाव आया और हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, यह कमेटी का सुझाव है और यह सुझाव आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए।

महोदय, हम देश की महिलाओं की बात बार-बार कहते हैं कि देश की महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनकी गरीबी दूर करनी है, उन्हें रोजगार देना है, लेकिन महिलाओं के बारे में जब कुछ देने का सवाल आता है तो हम वहीं के वहीं रहते हैं [R25]। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से सीनियर सिटिजन्स के लिए टैक्स लिमिट को बढ़ाया है, उसी प्रकार से महिलाओं

के लिये भी 2.5 लाख रुपये तक की मुक्ति मर्यादा तक ले जाना चाहिये। इससे महिलाओं को ज्यादा एनकरेज मिलेगा और ज्यादा कमाने के लिये उन्हें इन्सपायरेशन मिलेगा । वह ज्यादा कमाने के लिए आगे बढ़ेगी, उसमें काम करने की ज्यादा ताकत पैदा होगी। मुझे विश्वास है कि सरकार इस दिशा में जरूर आगे बढ़ेगी और ठीक ढंग से सोचेगी।

सभापित महोदय, सरकारी कर्मचारियों के लिये 30 हजार रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का रिलीफ मिला हुआ था जिसे इस बार के बजट में निकाल दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इस राहत को भी सरकार वापस ले रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि 30 हजार की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी चाहिये। इसका कारण यह है कि सरकारी कर्मचारियों की कमायी मेहनत की है, ब्लैक की कमायी नहीं है। उसे .यह राहत दी जानी चाहिये। अगर सरकार यह राहत छीन लेती है तो उनके साथ अन्याय होगा।

सभापित महोदय, मैंने जो सुझाव रखे हैं, आशा है कि सरकार उन पर गौर करेगी। सरकार ने चिप्स पर 16 परसेंट रखा है, मेरा अनुरोध है कि इस इंडस्ट्री को जीवित रखने के लिये Kindly reduce it to eight per cent. So far as customs duty is concerned, it should be reduced from 12.5 per cent to five per cent. So far as cooperative banks are concerned, I request you not to impose this type of a tax on the cooperative bank's profit, so that banks can function very properly and serve the people.

माननीय मोहन सिंह जी ने सर्विस टैक्स के बारे में सही बात कही है। मैंने पढ़ा था कि पिछले साल यह 23 हजार करोड़ रुपये था, इस बार 34 हजार करोड़ रुपये हो गया है। सेवा कर में 20 परसेंट बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसा न हो कि सर्विस टैक्स देने वाला मर जाये, टूट जाये। वह ब्लैक की कमायी करने वाला नहीं है। वे देश के ईमानदार लोग हैं, टैक्स देने वाले हैं। हम चाहते हैं कि वह खुशी से टैक्स दे। इसलिये सरकार को इस बात पर फिर से सोचना चाहिये। सेवा कर ने जो भी कवर किया है, इसमें एम्बीग्विटीज़ हैं, उनसे लोगों में एप्रीहैंशन है, एक भय है जिसे दूर करने के लिये सरकार कोई कार्य वाही करे और ठोस कदम उठाये।

**डॉ. राजेश मिश्रा (वाराणसी) :** सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक, 2006 के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आभार व्यक्त करता हूं।

सभापित जी, जब से यू.पी.ए. सरकार अस्तित्व में आयी है, तब से यू.पी.ए. के चेयर परसन, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह एवं वित्त मंत्री के अस्तित्व में आते ही सहयोगी दलों के साथ संकल्प लिया कि एक नये भारत का निर्माण किया जायेगा। मैं इस वित्त विधेयक के माध्यम से वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत निर्माण का संकल्प कैसे फलीभूत cÉäMÉÉ[RB26],

### 15.00 hrs.

इस बजट के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि वह संकल्प फलीभूत हो। जब बजट पेश हुआ था, तो उसके बाद उद्योग जगत में इस पर चर्चाएं हुईं। जो उत्साहवर्द्धक विचार इस बजट के संबंध में आए, मैं उनकी भी चर्चा करना चाहूंगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री मौन्टेक सिंह आहलूवालिया की इस बजट के बारे में क्या सोच है, वह मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने

कहा कि सीमा शुल्क में कटौती से भारत में निवेश आकर्ति होगा और अर्थव्यवस्था 10 प्रतिशत की उच्च विकास दर को हासिल करेगी। यह कमैन्ट उस व्यक्ति का है, जिसे पूरे हिन्दुस्तान या हिन्दुस्तान के बाहर के लोग एक विद्वान अर्थशास्त्री मानते हैं और जो हमारी जीडीपी बढ़ रही है, वह आठ प्रतिशत से ज्यादा हो गई है। सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम बहुत ही जल्दी 10 प्रतिशत के आंकड़े को छू लेंगे, यह बजट उसी दिशा में एक पहल है और निश्चित रूप से जब हमारी दस प्रतिशत जीडीपी होगी तो यूपीए सरकार का जो भारत निर्माण का संकल्प है, वह पूरा होगा।

हम आपके माध्यम से पूरे सदन को कहना चाहते हैं कि इस बजट के बाद भारतीय उद्योग पिरसंघ के मुख्य संरक्षक ने कहा कि इससे उद्योग जगत खुश होगा, क्योंकि बजट में कोई नकारात्मक बात नहीं है। इसमें सीमा शुल्क में कटौती की गई है और अधिकांश उद्योगों को इसके दायरे में लाया गया है। एसोचैम के अध्यक्ष ने इस बजट को व्यावहारिक, ि वकासोन्मुखी तथा आम आदमी का बजट बताया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, लघु उद्योगों का प्रवाह बढ़ाने, शिक्षा तथा छोटे किसानों के लिए उठाए गए कदमों से आर्थिक विकास के फायदे को सभी वर्गों तक पहुंचाने में इस बजट के माध्यम से मदद मिलेगी। फिक्की के अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया में बजट में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करने और नए कर नहीं थोपने के लिए ि वत्त मंत्री जी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के बुनियादी क्षेत्रों को मज़बूती प्रदान करने की कोशिश है। इससे पूरे देश को एकीकृत बाज़ार के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

मान्यवर, ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं, जिनका हम ज़िक्र कर रहे थे। जब सामने के बैंचों से हम सुनते हैं तो स्वाभाविक है कि इससे पूरे बजट में यदि कहीं कोई एक दो बिन्दु छूट गए हैं, तो उनका वे ज़िक्र करते हैं लेकिन ज़िक्र करते-करते वे यह भूल जाते हैं कि यदि अपनी सरकार के समय से आज की सरकार के बजट को और जिस दिशा में देश की अर्थव्यवस्था जा रही है, यदि उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से शायद इस सम्मानित सदन में तो वह न कह सकें, लेकिन अपनी निजी सोच में वह निश्चित रूप से कहेंगे कि आर्थिक विकास में बढ़ोतरी हो रही है, और कहीं न कहीं इस बजट की वह प्रशंसा निश्चित रूप से करेंगे।

हम आपके माध्यम से सम्मानित सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं कि किन किन क्षेत्रों में जहां पहले शुल्क थे, उनमें किस दर से कमी की गई और उसके पीछे सिर्फ कमी करना ही उद्देश्य नहीं था, बल्कि फिर हम उसी पर चर्चा करना चाहेंगे, जो भारत निर्माण का हमारा संकल्प है, हम किस प्रकार से उसके नज़दीक पहुंच सकते हैं, उसी संकल्प को प्राप्त करने हेतु तमाम मदों में, शुल्कों में, करों में सम्मानित वित्त मंत्री जी ने कमी की है। हम उनको बधाई देना चाहते हैं।

अभी सीमा-शुल्क की चर्चा हो रही थी। मान्यवर, जो हमारी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें आज इस देश में प्र ातिस्पर्द्धा है। आज ओपन मार्केट हो रही है, ग्लोबलाइज़ेशन हो रहा है[h27]।

# 15.05 hrs. (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair)

हमारा कम्पीटीशन आज दुनिया के दूसरे मुल्कों से हो रहा है। उस परिवेश में गैर-उत्पाद में जो 15 प्रतिशत टैक्स पहले था उसे 12.5 फीसदी किया गया। हम माननीय मंत्री जी की तारीफ करते हैं कि कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं पर शुल्क कम किया गया है। हमारा जो स्टील उद्योग है और भारत के नवनिर्माण के लिए आने वाले समय में जो वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं, चाहे वह इस्पात हो या अलौह धातुएं हों, इन पर जो शुल्क था, वह अभी तक 10 फीसदी था, उसे कम करके 7.5 प्रतिशत किया गया है। इसके पीछे सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी की मंशा स्पट है कि आने वाले समय में जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कम्पीटीशन हो, उस कम्पीटीशन में हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा कम्पीट कर सकें। टैक्स को कम करने का यही एक मुख्य उद्देश्य है। इसी तरह खनिज उत्पादों पर पहले जो 15 प्रतिशत टैक्स था, उसे घटा कर 5 प्रतिशत किया गया है। कच्चे

लोहे पर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत शुल्क किया गया है और इसी तरह जो अकार्बनिक रसायन के क्षेत्र की कच्ची सामग्रियां हैं, उन पर भी 15 प्रतिशत से शुल्क घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है।

हमारा जो रमाल स्केल इंडस्ट्रीज सैक्टर है वह बहुत कम्पीटीटिव सैक्टर रहा है, जिसमें आने वाले दिनों में और प्रातिस्पर्धा होगी। इसे देखते हुए, प्लास्टिक उद्योग में पहले जो 10 प्रतिशत टैक्स था उसे वित्त मंत्री जी ने घटाकर 5 प्रतिशत किया है। यह सब इंगित करता है कि इस बजट के माध्यम से भिवय की कल्पना की गई है कि भिवय में ऐसे कौन-कौन से सैक्टर हो सकते हैं, जिन सैक्टरों में ज्यादा लाभ पाया जा सकता है, जिनका काम हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा हो सकता है और उन सैक्टरों में हमारे उद्योगकर्मी किस तरह से प्रतिस्पर्धा में खरे उतर सकते हैं। ऐसे सभी सैक्टरों को ज्यादा महत्व दिया गया है। निश्चित रूप से हम वित्त मंत्री जी को और सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि जो हमारी जीवन रक्षक औाधियां हैं, आज जिस तरह खतरनाक बीमारियां दिखाई देती हैं, उन पर शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है। अब ये बीमारियां लाइलाज नहीं हैं, जैसे कैंसर, एड्स आदि। इन बीमारियों के उपचार के लिए काम आने वाली दवाइयों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है और इन औाधियों के साथ-साथ उपकरणों पर जो शुल्क लगता था, वह भी 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। हमारी सरकार महसूस करती है कि वे सारे क्षेत्र, सारी बीमारियां जिन बीमारियों के इलाज में ज्यादा पैसे खर्च होते थे, जिनकी औाधियां बहुत महंगी होती हैं, जिनके उपचार के लिए जो उपकरण काम में लाए जाते हैं, वे भी बहुत महंगे होते हैं, उन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

अभी हमारे माननीय सदस्य श्री काशीराम राणा काटन इंडस्ट्री की चर्चा कर रहे थे। आज पूरे देश में, जिस समय यूपीए की सरकार अपने अस्तित्व में आई थी, मुझे याद है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में काटन इंस्टस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है[i28]।

सभापति जी, हमारे यहां की बनारसी साड़ियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जिस समय यू.पी.ए. की सरकार अस्तित्व में आई, उससे पहले वाराणसी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तथा उससे बाहर के जितने भी जनपद हैं, उनमें रहने वाले बुनकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे। जब हम यह जिक्र कर रहे हैं, तो हमें याद आता है जब हम लोगों से पैसा कलैक्ट कर के लाते थे और उनके लिए सुबह एवं शाम के खाने की व्यवस्था करते थे, तािक बुनकर सुसाइड न करें, क्योंकि उनका बनाया हुआ कपड़ा नहीं बिक रहा था। कंपटीशन की स्थिति यह थी कि उनकी जो साड़ी 1200 रुपए में बनती थी, उसी प्रकार की सािड़यां विदेशों से आ रही थीं और वे सिर्फ 400 रुपए में मिल जाया करती थीं। इसिलए उनकी महंगी सािड़यों को कोई खरीदता नहीं था। उसका नतीजा यह हुआ कि बुनकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे थे।

महोदय, जब यू.पी.ए. की सरकार आई, तो उसने अपने पहले बजट में, जो हाथ के बुने हुए कपड़े थे, जो वस्त्र हथकरघा के अंतर्गत निर्मित हो रहे थे, उनके लिए स्पेशल पैकेज घोति किया। उसके बाद धीमे-धीमे कर के पूरी इंडस्ट्री को जिस तरह से सरकार ने पटरी पर लाने का काम किया है, उसके लिए हम हिन्दुस्तान के करोड़ों बुनकरों की ओर से यू.पी.ए. की चेयरमैन, आदरणीया श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधान मंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम को बधाई देना चाहते हैं।

महोदय, श्री काशी राम राणा, मुझसे पूर्व वक्ता चर्चा करते हुए कह रहे थे कि पॉवरलूम सैक्टर में 16 प्रतिशत से घटाकर कस्टम ड्यूटी 8 प्रतिशत कर दी गई है। वे निवेदन कर रहे थे कि इसे जीरो परसेंट कर देना चाहिए तथा जिस प्रकार से हथकरघा उद्योग में कस्टम ड्यूटी को जीरो प्रतिशत कर दिया गया है उसी प्रकार से रेशम उद्योग में भी इसे जीरो प्रतिशत कर देना चाहिए, हालांकि उन्होंने इसके लिए सरकार की प्रशंसा की थी।

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है। बहुत दिनों के बाद, सरकार अब धीरे-धीरे इस परिस्थिति में आ रही है कि आज जो हमारे देश की कॉटन इंडस्ट्री है, उसे करों में राहत देकर, दुनिया के दूसरे देशों की कॉटन इंडस्ट्री के मुकाबले, उनके पैरेलल खड़ी कर सके। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमारी कॉटन इंडस्ट्री दुनिया के दूसरे देशों की कॉटन इंडस्ट्री से आगे चली गई है, परन्तु मात्र दो साल में हमारी कॉटन इंडस्ट्री, दुनिया की कॉटन इंडस्ट्री के पैरेलल खड़ी होने की स्थिति में आई है। यह हमारी सरकार की बड़ी अचीवमेंट है। इसका भी एक कारण है कि क्यों हमारी कॉटन इंडस्ट्री ऐसी स्थिति में पहुंची। पिछले 10-15 सालों में, जिस तरह से हमारे देश की कॉटन इंडस्ट्री को क्रश किया गया, उसी का नतीजा था कि धीमे-धीमे वीवर्स सुसाइड करने की स्थिति में पहुंचे।

महोदय, आज बाजार में कॉटन इंडस्ट्री में अच्छी प्रतिस्पर्धा दिखाई पड़ती है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हथकरघा में रियायतें दी गई हैं, आने वाले समय में रेशम उद्योग में भी उसी प्रकार की रियायतें प्रदान की जाएंगी। यू.पी.ए. सरकार से पहले की सरकार तो इस उद्योग पर 16 प्रतिशत टैक्स छोड़ कर गई थी। हमारी सरकार ने उसे आधा किया है। हमें पूरा विश्वास है कि आगे जाकर स्थिति और भी अच्छी होगी। जब ये तमाम सारी चीजें हो जाएंगी, जिनकी चर्चा वित्त मंत्री जी ने की है, तो स्थिति में और सुधार हो सकता है तथा इंडस्ट्री को और राहत मिल सकती है।

महोदय, जिस प्रकार से आई.टी. क्षेत्र में रियायत दी गई हैं, जिस प्रकार से कंप्यूटर के क्षेत्र में रियायत दी गई है, उसे आज की हमारी यंग जैनरेशन, जिसे हिन्दुस्तान का भिवय कहते हैं और जो यह सपना देखती है कि हम दुनिया की सबसे बड़े और सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाएं, उन्हें इस सरकार ने जिस तरह राहत देने का काम किया है, उसके लिए निश्चित रूप से भारत का भिवय इस सरकार को बधाई देगा।

मान्यवर, मेरे दो-तीन बिन्दू हैं, जिनके बारे में बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आई.टी. क्षेत्र और कंप्यूटर क्षेत्र में सरकार द्वारा दी गई रियायत के लिए भारत का भविय इस सरकार को बधाई देगा। हम अभी इतना कह सकते हैं कि यह मात्र शुरूआत है। हमारी लड़ाई लम्बी है और हमें दूर तक जाना है। हमें आशा है कि निश्चित रूप से यह सरकार इन सारी चीजों में सफल हो पाएगी[rpm29]। ऐसे दो-तीन मुख्य सैक्टर्स हैं। हम निश्चित रूप से अपने सम्मानित वित्त मंत्री जी को और अपनी सरकार को सुझाव देना चाहते हैं क्योंकि हमारे तमाम साथियों ने उन बिन्दुओं पर चर्चा की है। हम मानते हैं कि हिन्दुस्तान कृति प्रधान देश है, 80 प्रतिशत हिन्दुस्तान की जनता गांवों में खेती करती है, लेकिन जब हम आज के आंकड़े देखते हैं तो हमें यह लगता है कि 80 प्रतिशत जनता, जिसका हम जिक्र करते हैं, आज उसकी संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है। सरकारी आंकड़े चाहे जो भी कहें, लेकिन यह महसूस होता है, जब हम गांवों में देखते हैं कि आज लोग मन से, दिल से खेती नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों है, इस तरह की परिस्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं, निश्चित रूप से इस सर्वोच्च सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह पूरी सरकार मानती है, हम भी ऐसा महसूस करते हैं और सरकार इस पर सुझाव भी चाहती है...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

डॉ. राजेश मिश्रा : स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जिस तरह गांवों की तरफ ध्यान दिया, बजट को ग्रामोन्मुखी बनाया, यह बजट भी उसी दिशा में एक प्रयास है, लेकिन इसे अभी हम एक तरह से पूरा नहीं मानते, क्योंकि आज हमारे किसान की मान्यता है कि हम घाटे का सौदा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो यह घाटे का सौदा है। वह चाहता है कि अगर हम खेती में दो रुपये लगाते हैं, यदि हमें तीन रुपये न मिलें तो कम से कम दो रुपये तो मिलें। हम उद्योग करते हैं, उसमें दो रुपये लगाते हैं तो हम 6 रुपये की कल्पना करते हैं। हम बड़ी इण्डस्ट्री चलाते हैं और उसमें 200 करोड़ रुपये लगाते हैं तो 400 करोड़ रुपये की कल्पना करते हैं। उसी तरह किसान जो दो रुपये लगा रहा है, वह भी कर्ज लेकर लगा रहा है, इसलिए वह निश्चित रूप से चाहेगा कि हमें तीन रुपये न मिलें तो कम से कम दो रुपये जरूर मिलें, जिससे हमारी लागत तो

मिल जाये, जिससे हम अगली बार फिर अपने खेत में अनाज पैदा कर सकें। लेकिन हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं क्योंिक बहुत दिनों से यह मांग हो रही थी कि बैंकों के माध्यम से जो 14 परसेंट ब्याज पर किसानों को ऋण मिलता है, उसकी दर सात परसेंट होना चाहिए। हम सरकार को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं कि जो वााँ से लम्बित मांग थी कि किसानों को बैंकों से सात प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने की व्यवस्था हो, ऋण देने की व्यवस्था हो, हम यू.पी.ए. की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को इसके लिए हिन्दुस्तान के करोड़ों किसानों की तरफ से बधाई देते हैं, उनका अभिनन्दन करना चाहते हैं कि उस लम्बित मांग को उन्होंने पूरा किया है। हम एक-दो बिन्दुओं पर एक-दो लाइन और बोलेंगे।

हम सुझाव देना चाहते हैं कि जो चिट फंड सोसायिटयां हैं, जो प्राइवेट फाइनेंसिंग कम्पनियां हैं, वे जिस तरह छोटे-छोटे जनपदों में अपने दफ्तर खोलकर लोन बांटने का और लोगों का पैसा जमा करने का काम कर रही हैं, हमें लगता है और पिछले 15-20 सालों का इतिहास भी रहा है कि जिन छोटी-छोटी फाइनेंस कम्पनियों ने 20-25 करोड़ रुपये जमा किये, वे कम्पनियां दो, चार या पांच साल में किस तरह प्लावित हो जाती है और किसान, गरीब और नौजवान हाथ पर हाथ रखकर बैठा रह जाता है। वे बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। लोग उसे ढूंढते रहते हैं लेकिन कोई मिल नहीं पाता है। इसलिए हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई न कोई कड़ा नियम बनना चाहिए ताकि इस तरह पैसा लेकर कोई भागने न पायें और अगर पैसा लेकर भागने की कोशिश करे तो उससे सख्ती से निपटा जा सके। हमें लगता है कि ऐसा कानून बना देना सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

देहातों में पूरा सदन पीने के पानी की कमी की चर्चा करता है। यह सही है कि वर्तमान समय में जो रिपोर्टें आ रही हैं और कभी-कभी हम सेमीनार में चर्चा भी सुनते हैं कि अगला विश्व युद्ध पीने के पानी के लिए होगा। इस विाय पर कई बार चर्चा होती है। हम कहना चाहेंगे कि पूरे देश में एक सर्वे कराया जाए कि इसमें कौन सी व्यवस्था केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कर सकते हैं ताकि जो पीने के पानी का अभाव गांवों में या शहरों में दिखाई पड़ रहा है, वह दूर हो सके। लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में यह समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश के स्तर पर एक व्यापक सर्वे होना चाहिए। इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि बिहार में क्या है, यू.पी. में क्या है, आन्ध्र प्रदेश में क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है या राजस्थान में क्या है। मैंने आपके प्रदेश का भी जिक्र किया, यही हर प्रदेश की स्थिति है। हम कहना चाहते हैं कि आज आम आदमी इससे परेशान है। इसका व्यापक सर्वे होना चाहिए। संयोग यह है कि जल संसाधन मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। इसका एक व्यापक सर्वे कराकर इसका क्या समाधान हो सकता है, निश्चित रूप से सरकार को इसमें राज्य सरकारों के माध्यम से कोई मजबूत पहल करनी चाहिए, जिससे कि हम एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकें। [i30]

सभापति महोदय : मिश्रा जी, मैं आपको बोलने से रोकता नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के पन्द्रह लोग बोलने वाले हैं। आपको बोलते हुए 22 मिनट हो गए हैं।

**डॉ. राजेश मिश्रा**: महोदय, मैं जिस श्रेणी से चुन कर आया हूं, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम छात्र राजनीति में रहे हैं। जब हम लोग विश्वविद्यालय में थे, तब नारा लगाया करते थे कि काम का अधिकार और बेरोजगारी को खत्म करने का अधिकार संवैधानिक है, जो हमें मिलना चाहिए। हम इसी आधार पर यूनीवर्सिटी में चुनाव लड़ा करते थे। देहात में रहने वाले बेरोजगारों की तरफ से मैं सोनिया जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस कानून को बनाने में इनका इमोशनल पक्ष रहा है। मैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और यूपीए के सहयोगियों को बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के 57 साल बाद तक भी जो कानून नहीं बन पाया था, उसे अब बना कर गांव के नौजवानों को मजबूत करने का काम किया गया है। मैं उनकी तरफ से सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि शहर के नौजवानों के लिए भी एक कानून अगले बजट सत्र में लाया जाएगा, जिससे पूरे हिंदुस्तान का नौजवान सुनहरे भविय का जो सपना देखता है, वह पूरा हो सकेगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक र्वा 2006-07 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है, आम लोगों में बजट की चर्चा आरम्भ हो जाती है और बजटमय माहौल बनने लगता है। लोगों की जिज्ञासा रहती है कि इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलेगी या रसोई गैस के दाम घटेंगे या बढ़ेंगे, ऐसी चर्चा होने लगती है। इन्कम टैक्स में कुछ छूट मिली है, लेकिन सर्विस टैक्स जो लगाया गया है, उसने आम आदमी को निचोड़ने का काम किया गया है। सर्विस टैक्स को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया है। इस तरह से, यदि चार वाा का लेखा-जोखा देखा जाएगा, तो मेरे ख्याल से यह 16 प्रतिशत की बढ़ांतरी होगी। इससे आम लोगों पर बहुत बड़ा बोझ लगने वाला है। सेवा कर और उत्पाद शुल्क को देखा जाए तो यह एक समान दर लगती है। सर्विस टैक्स उगाही के लिए पिछले वा 17500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था और अगले वित्त वा के लिए 34500 रुपए उगाही का लक्ष्य रखा गया है। सर्विस टैक्स में 96 सेवाओं को शामिल किया गया है और 15 नई सेवाओं को सर्विस टैक्स के दायरे में लाने का काम किया गया है। मेरे ख्याल से इस तरह आप जनता पर बहुत ज्यादा टैक्स का बोझ डालने जा रहे हैं। अभी तक चैरीटेबल संस्थाएं, जो जनमानस को विशो सुविधाएं उपलब्ध कराती थीं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब उनको मिलने वाले दान पर भी आपने कर लगाने का काम किया है, जो बहुत गलत हुआ है। इसके अलावा गुप्त दान पर भी टैक्स लगाने का काम किया है। इस बजट में, शब्दों के हेर-फेर से छोटे कारोबारियों को सेवा कर के दायरे में लाने का काम किया गया है। सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि इससे बहुत से छोटे उद्योग कर के दायरे में आ VÉÉAÆMÉä[c31]।

आपने वेतनभोगियों पर रहम किया है, उनके लिए एफडी कर में छूट की बात कही है। यहां सरकारी बैंकों और नाबार्ड के बारे में बहुत सी बातें विस्तार में हुई हैं। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आपने उन्हें भी टैक्स के दायरे में रख दिया है। दूसरी तरफ चाहे क्रैडिट कार्ड हो, एटीएम की सेवा हो, विमान सेवा, अस्पताल, स्कूल, कैंटीन या विज्ञापन हो, इन्हें भी सर्विस टैक्स के दायरे में लिया गया है। मेरे ख्याल से इससे महंगाई और बढ़ेगी और लोगों के ऊपर बोझ बढ़ेगा।

अभी तमाम सदस्यों ने दवा के बारे में कहा। दवा या ऑटो कम्पोनैंट्स, छोटे-छोटे उद्योग लगाने वालों को भी सर्ि वस टैक्स के माध्यम से तगड़ा झटका लगेगा। लघु उद्योगों के तहत करीब 506 उत्पादों को आपने आरक्षित किया है। इसमें तमाम लघु उद्योग आ जाएंगे। मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ा टैक्स लगाने जा रहे हैं। सीमा शुल्क के बारे में बड़े विस्तार से यहां बात कही गई है। मैं कहना चाहूंगा कि आपने इसे पहले 30 प्रतिशत रखा था, लेकिन अब एकदम 80 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इससे वनस्पित का आयात करने वाले लोग आयात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपने इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया है। आपने बजट में टैक्स लगाने का जिस तरह प्रावधान किया है, ऐसा न हो कि सरकार की नीतियां श्रमिक या किसान विरोधी हो जाएं। यह कहने को आम चर्चा न हो, इसलिए इस पर बड़े विस्तार से सोचने की जरूरत है। मैं खास तौर से वैट टैक्स के बारे में कहना चाहूंगा कि कुछ राज्यों ने वैट टैक्स लागू किया है, लेकिन कुछ राज्यों ने नहीं किया है। व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए उनसे विचार-विमर्श करके, मैं चाहूंगा कि फाइनैंस मिनिस्टर साहब राज्यों में जाएं, वहां वित्त मंत्री या मुख्य मंत्री से बात करें या यहां मुख्य मंत्रियों या वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलाकर देखें कि हर राज्य की भौगौलिक परिस्थितियां अलग-अलग

हैं, खासकर दिल्ली जो देश की राजधानी है, उससे जुड़े राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, वहां अभी वैट लागू नहीं हुआ है, लेकिन वहां की भौगौलिक परिस्थितियों को देखकर व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हुए हमें वैट टैक्स लागू करना चाहिए।

मैं पांच मिनट इसलिए बोलना चाहता था क्योंकि हमारे दल के और भी सम्मानित सदस्य बोलना चाहते हैं और मैं जल्दी में भी था। मैं आपके माध्यम से फाइनैंस मिनिस्टर से कहूंगा कि तमाम सम्मानित सदस्यों के जो विचार, सुझाव आए हैं, यूपीए सरकार पर कहीं यह आरोप न लगे कि यह श्रमिक विरोधी या किसान विरोधी बजट है, इसलिए जहां तक रिलैक्सेशन हो सके, उसे देने की जरूरत है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): Thank you Mr. Chairman Sir. I rise to support the Finance Bill 2006 as introduced by the hon. Finance Minister as it is a progressive Bill taking the nation forward for accelerated economic growth and taking care of the down trodden poor people and the commoners.

The economy is vibrant and rightly on the growth path. Employment generation schemes are in full swing and the fruits of the schemes should come in due course. On the labour front, because of cut in the interest rate, the workers are deprived of their legitimate EPF interest. I would request the hon. Finance Minister to help tide over the crisis in the EPF Trust for continuing to pay higher rate of interest to workers who have contributed towards EPF.

My second point is about the payment of minimum wages and raising the ceiling limit on bonus. Sir, I would like to share one important fact with the hon. House. In the year 1970, when there was a proposal to reduce the bonus to four per cent, it was our State Government headed by Dr. Kalaignar Karunanidhi, who sent his Labour Minister, Shri N.V. Natarajan to Delhi to impress upon the Centre not to reduce the bonus percentage and the Centre agreed to make it 8.33 per cent[r32] which benefited the workers in the whole of India.

Now also, in the DMK's Ninth State level Conference at Trichy in which UPA Chairperson, Madam Sonia Gandhi, participated and addressed to lakhs and lakhs of people there under the Chairmanship of Dr. Kalaignar Karunanidhi, passed a resolution recently that when the minimum wages were raised to Rs. 6,000, there is no justification and meaning in sticking to the bonus ceiling limit of Rs. 3,500. The Bonus Act which was enacted in 1965 is outmoded and hence the minimum bonus is raised to 12 per cent. I understand that with the good office of the hon Minister of Finance, the benefit can be given to the workers.

I come to the provisions of the Finance Bill. It has withdrawn exemption from service tax enjoyed by the call centres catering to the domestic market. It has also brought under the tax net services such as telemarketing, processing of purchase orders and customer relationship management. When there is international competition, people are opting to have more call centres and Business Process Outsourcing simply because we have cheap labour and infrastructure. It has brought foreign exchange to the tune of Rs. 30,000 crore. So, to develop this industry which provides employment and entrepreneurs, domestic BPOs should not be burdened with taxes at present.

Sir, I would like to make one more suggestion in regard to clause 13 of the Finance Bill regarding the proposed amendment to Section 54EC regarding capital gains tax exemption instruments. The hon. Minister of Finance has proposed that hereafter investments made in the capital gains bonds of NHAI and REC alone, where the minimum investment is for a sum of Rs. 1 lakh as compared to others where the minimum investment has been Rs. 10,000, would qualify for such exemption.

Therefore, the small investors who had already invested prior to 28<sup>th</sup> February, 2006, in the capital gains bonds issued by NABARD etc. would be losing the exemption from capital gains tax while, at the same time, those who had invested or who are likely to invest Rs. 1 lakh as capital gains would be eligible for an exemption of Rs. 20,000 or more, as the case may be. This would put hardship to small investors who had validly taken shelter under Section 54EC by investing in capital gains bonds of NABARD etc prior to 28<sup>th</sup> February, 2006. In the subsequent clause, namely clause 14 regarding amendment to Section 54ED, it has been specifically provided that it will come into effect from 1<sup>st</sup> April, 2007, that is from the assessment year 2007-08. One does not know why this benefit has not been extended in the case of the proposed amendment to Section 54EC. I hope the hon. Minister of Finance will accept the suggestion to continue the exemption from capital gains in the case of investments made in NABARD etc. prior to 28<sup>th</sup> February, 2006 for the assessment year 2007-08, by incorporating the proviso suggested by me earlier.

The hon. Minister of Finance proposes to tax cooperative banks which are making profit by amending Section 80P. As he knows, health of many cooperative societies which are in the financial sector is not good. Therefore, it is not advisable to tax such cooperative society. I request the hon. Minister of Finance to reconsider this proposal.

There is a news-item that the Government is going to allow Foreign Direct Investment in retail sector. Sir, as you know, in retail sector, only small traders and marginal businessmen are engaged and if these multinationals come and capture this sector, they would be out of trade,

rendering thousands and lakhs of workers out of jobs. Therefore, I would request the Government to see that the interests of domestic retail sector are protected [R33].

Sir, there is a long-awaited announcement from the Government for constitution of the Sixth Central Pay Commission for employees who are in the service of the Union of India including Railway employees, BSNL and MTNL employees. I would request the hon. Minister to make an announcement about it since it is overdue and the hon. Prime Minister has also assured the employees that the Government is seriously considering the proposal for constitution of the Sixth Pay Commission.

With these words, I thank you very much for giving me an opportunity to speak.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman, Sir. In the last few years, we have found India virtually a part of any important discussion in the world. Everyone is now convinced that it is going to be India along with China that will be the drivers of growth of the globalised world economy of the future. Against this backdrop, we should look at the Finance Bill, 2006.

India, today, has more than 30 crores of middle class people and this has grown within the last three decades. In the world history, in no particular country such a large number of middle class has attained this growth and this has happened in our country. China is being discussed both in our country and also in other parts of the world. China has proved the point by now attracting 60 billion US dollars of FDI, being an economy larger than France and now setting up higher targets for the next 15 years, not just on economic parameters but also on social parameters.

But, I would say, we have lost a great opportunity of embarking on a new growth-focused programme to take India where the world is now expecting us to be. Our fiscal position is far better now. The tax GDP ratio is rising. The economy is growing by eight per cent and business confidence is also robust. The attempt in the Bill, I would say, should have been bold, forward-looking and not constrained by the inhibitions of a rigid past.

I would come to the FDI sector first. The Foreign Direct Investment is integral to the growth of the economy. Its share in the gross capital formation has grown from an annual average of 1.9 per cent during 1985-1995 to 3.4 per cent in 2004. Similarly, FDI stock in GDP rose from 0.5 per cent in 1990 to 5.9 per cent in 2004. Even so, there is no focus on the FDI sector with special incentives in this Finance Bill.

While the hon. Minister of Finance has always haracteri on FDI in his Budget, he has never accorded any special fiscal initiatives to promote it. Perhaps, looking to the left and thinking about the Left, he has not ventured into that sphere. He has never accorded any special fiscal initiative to promote it. The FDI initiatives have been haracterized only by unbundling of restricted policy and procedures. In contrast, India's neighbour, that is China, has showered fiscal incentives besides providing a liberal regime for investment [krr34].

In China, special income tax incentives are accorded to foreign investors in Special Economic Zones for manufacturing hi-tech products and investing in Research and Development. In India, no income tax incentive is available except in Special Economic Zones. In China foreign investors who adopt advanced technology enjoy a two-year tax holiday and are allowed 50 per cent exemption for the next six years. No such incentive is available to foreign investors in India. In China, foreign investors ploughing back their profits after operating for five years are entitled to 40 per cent refund of the tax already paid on the re-invested amount. It is not so in our country. On indirect taxes too, China grants a number of incentives. Technology transfer and technology developed by foreign investors are exempted from Value Added Tax. Equipment imported for projects in the priority sector are exempt from tariff and import-stage VAT. But the Finance Minister has done little on this front. Foreign investors are given a short shrift.

I would say that growth this year was driven by manufacturing sector. Goldman Sachs had written *Dreaming with BRIC : Path to 2050*. He had predicted that India would be the third biggest economy in 2050. Even more surprising, he had predicted that the country would surpass Japan's GDP by 2032. But do we intend to realise this dream? I would say that the countries which were earlier lukewarm towards India are now considering it an alternative to China for investment. Take Taiwan for instance. Taiwan is the fourth biggest investor in China, but India has a tenuous relationship with Taiwan. When Taiwan is of the opinion that for strategic interests, it wants to invest in India as an alternative investment destination to China, then what is the problem? Have we reacted to it? Yes. Between January and November, 2005, FDI was US \$ 4 billion excluding re-invested earnings and other capital. This growth in FDI was catalysed by the general growth in the economy and not by special measures.

China has high domestic saving ratio. That is 40 per cent, which is prudent for investment. But at the same time, they are asking for more Foreign Direct Investment. But it is more attractive destination also. They are creating a situation where more Foreign Direct Investment is attracted to that country despite their domestic saving ratio which is around 40 per cent. They are giving more fiscal incentives, cheap labour with flexible laws. We should learn from the patterns of FDI flows to tap foreign investment.